अध्याय–III
बजटीय प्रबंधन

अध्याय–III बजटीय प्रबंधन

यह अध्याय, निधियों का विचलन किए बिना नीतिगत निर्णयों के प्रशासनिक कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हुए अनुपूरक अनुदानों सहित बजटीय प्रक्रिया एवं आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं की प्रामाणिकता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता तथा अनुषंगिक वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा करता है। यह विनियोग लेखे के लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं विनियोग के अनुदान–वार विवरणी एवं सेवा प्रदायी विभागों द्वारा इन आवंटित संसाधनों के प्रबंधन की शैली को प्रदर्शित करता है।

3.1 बजट प्रक्रिया

बजट की वार्षिक प्रक्रिया सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिये विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। वित्त विभाग द्वारा बजट परिपत्र जारी किये जाने के साथ ही बजट प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिसमें शामिल निर्देशों को वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित अनुमान और अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमानों की तैयारी हेतु सभी विभागों द्वारा अनुपालन करना होता है। यह सामान्य रूप से हर वर्ष अगस्त–सितबंर में होता है जैसा कि बिहार बजट संहिता में निर्धारित है। अनुपूरक बजट के साथ मूल बजट (मू0ब0) बढ़ाया जाता है। 01 अप्रैल 2019 से राज्य की वित्तीय गतिविधियों को व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सी0एफ0एम0एस0) में एकीकृत किया गया है।

विधायी प्राधिकार, राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार के व्यय हेतु अनिवार्य शर्त है। राज्य सरकार ने वित्तीय नियमों का निमार्ण करते हुए प्रतिबंधित सीमा के अधीन व्यय के विनियोग/पुनर्विनियोग की स्वीकृति देने हेतु सक्षम प्राधिकार के निर्धारण के क्रम में वित्तीय शक्तियों को प्रत्यायोजित किया है। अनुपूरक अनुदान के अतिरिक्त, पुनर्विनियोजन का उपयोग, अनुदान के अन्दर राशि का पुनः आवंटन करने के लिए भी किया जाता है।

राज्य के बजट में शामिल दस्तावेजों को **चार्ट 3.1** में दिखाया गया हैं।

चार्ट 3.1: बजटीय प्रक्रिया

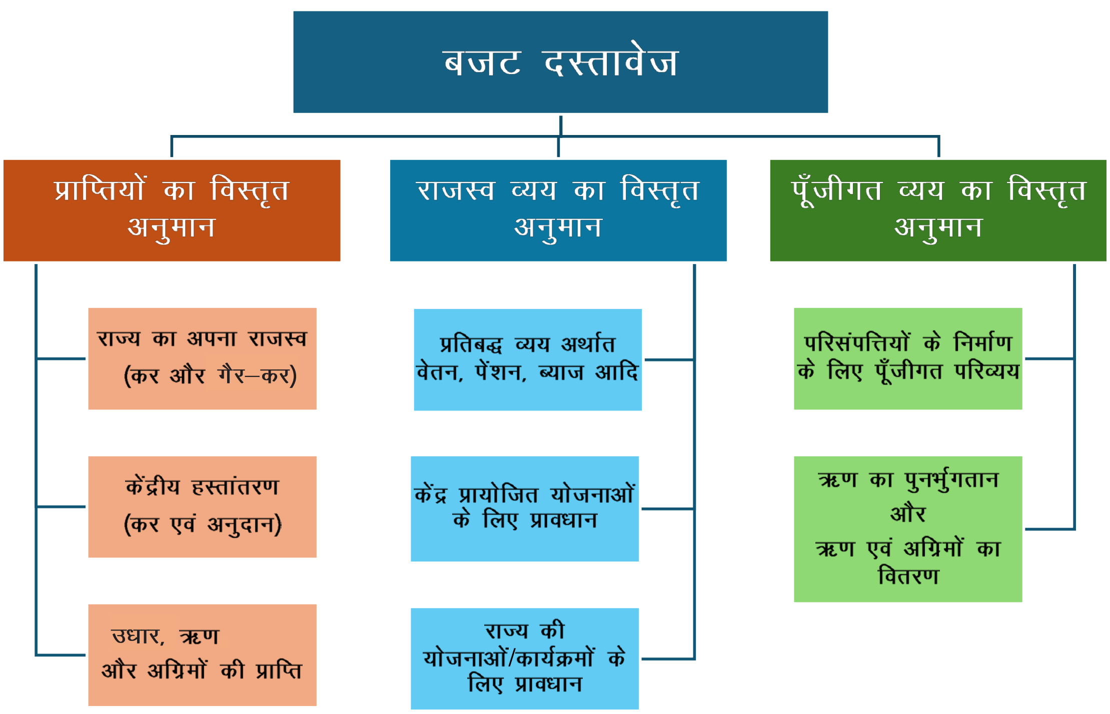

3.1.1 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधान, वास्तविक संवितरण एवं बचत का सारांश

कुल बजट प्रावधानों, कुल बजटीय प्रावधान संवितरण एवं बचत की सारभूत स्थिति को दत्तमत और भारित घटकों के रूप में विभाजित करते हुए नीचे **तालिका 3.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1: 2023–24 के दौरान बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत

(₹ करोड़ में)

	कुल बजट प्रावधान		कुल संवितरण		बचत	
	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित
राजस्व	2,35,829.40	20,364.25	1,78,642.05	19,538.08	57,187.35	826.17
पूँजीगत	44,105.37	0.00	37,422.70	0.00	6,682.67	0.00
लोक ऋण	0.00	23,558.69	0.00	22,979.38	0.00	579.31
ऋण एवं अग्रिम	2,372.41	0.00	2,135.86	0.00	236.55	0.00
कुल	**2,82,307.18**	**43,922.94**	**2,18,200.61**	**42,517.46**	**64,106.57**	**1,405.48**
	3,26,230.12		**2,60,718.07**		**65,512.05**	

(स्रोतः वर्ष 2023–24 के विस्तृत विनियोग लेखे)

बजट के विभिन्न घटकों को नीचे दिए गए **चार्ट 3.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.2: बजट के घटक

(₹ करोड़ में)

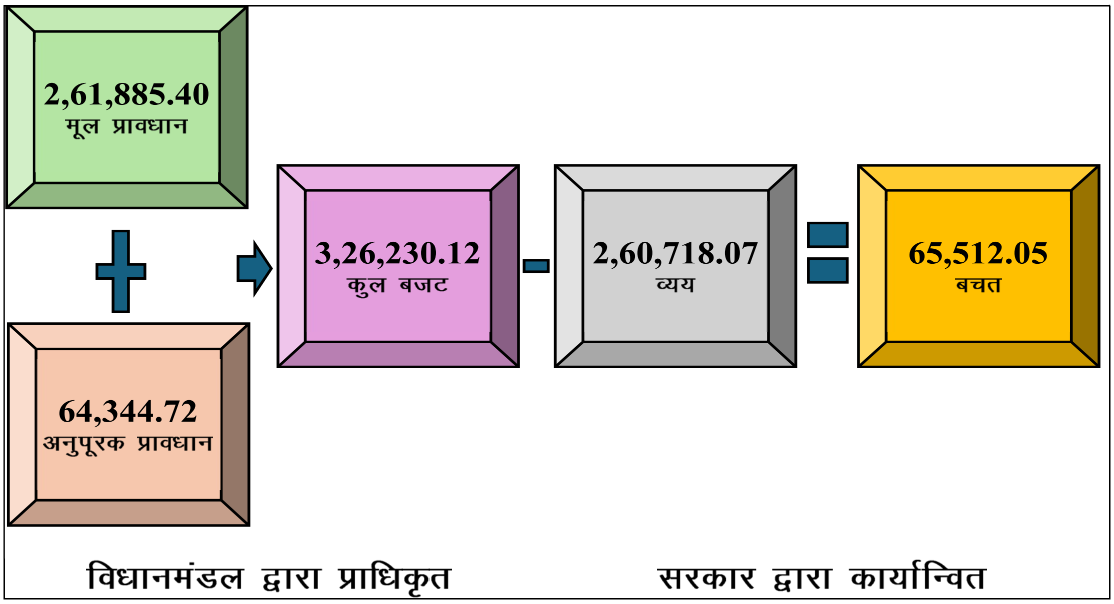

(स्रोतः वर्ष 2023–24 के विस्तृत विनियोग लेखे)

राज्य का बजट अनुमान (ब0अ0) ₹ 2,61,885.40 करोड़ का तैयार किया गया था। इसके बाद ₹ 64,344.72 करोड़[1] का अनुपूरक बजट का प्रावधान किया गया। इस प्रकार, वर्ष 2023–24 में राज्य का कुल बजट ₹ 3,26,230.12 करोड़ का हो गया था। तथापि, इसके विरूद्ध, राज्य द्वारा मूल बजट की भी पूरी राशि व्यय नहीं किया गया। राज्य का व्यय ₹ 2,60,718.07 करोड़ (अर्थात् मूल बजट का 99.55 प्रतिशत) था और बचत के रूप में ₹ 65,512.05 करोड़ शेष थे।

चार्ट 3.2 से देखा जा सकता है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2023–24 के दौरान कुल बजट (मूल+अनुपूरक) प्रावधानों के सापेक्ष 79.92 प्रतिशत (वित्तीय वर्ष 2022–23 से 1.97 प्रतिशतता अंक अधिक) व्यय किया था, जिसके परिणामस्वरूप 20.08 प्रतिशत की बचत हुई।

[1] *प्रथम अनुपूरक बजटः ₹ 34,124.76 करोड़, द्वितीय अनुपूरक बजटः ₹ 26,086.36 करोड़ एवं तृतीय अनुपूरक बजटः ₹ 4,133.60 करोड़*

3.1.2 भारित एवं दत्तमत बजट एवं संवितरण

विगत पाँच वर्षों (2019–20 से 2023–24 तक) के दौरान 'भारित'[2] और 'दत्तमत'[3] में कुल बजट एवं संवितरण का विवरण **तालिका 3.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2: 2019–20 से 2023–24 के दौरान भारित और दत्तमत बजट एवं संवितरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल बजट		संवितरण		बचत/आधिक्य		कुल बजट के विरूद्ध बचत (प्रतिशत में)	
	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित
2019–20	2,08,629.14	19,858.04	1,30,506.24	19,135.68	78,122.90	722.36	37.45	3.64
2020–21	2,24,274.43	21,248.16	1,48,348.42	19,566.98	75,926.04	1,681.18	33.85	7.91
2021–22	2,41,479.13	23,917.74	1,71,395.87	22,806.33	70,083.26	1,111.41	29.02	4.65
2022–23	2,69,053.83	32,632.63	2,04,037.83	31,139.01	65,016.00	1,493.62	24.16	4.58
2023–24	2,82,307.18	43,922.94	2,18,200.61	42,517.46	64,106.57	1,405.48	22.70	3.20

(स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

3.1.3 बजट कार्यकुशलता

3.1.3.1 समग्र बजट उत्पादकता

समग्र बजट उत्पादकता, यह मापती है कि समग्र बजटीय व्यय की उत्पादकता/वास्तविक व्यय मूल अनुमोदित राशि से कितनी अधिक अथवा कितनी कम है। इसका सारांश **तालिका 3.3(अ)** में दिया गया है।

तालिका 3.3(अ): वित्तीय वर्ष 2023–24 का समग्र बजट उत्पादकता

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल अनुमोदित बजट (ब0अ0)	वास्तविक उत्पादकता	वास्तविक और ब0अ0 के बीच अंतर* (3)–(2)	प्रतिशत विचलन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजस्व	2,07,848.00	1,98,180.13	(–) 9,667.87	(–) 4.65
पूँजीगत	54,037.40	62,537.94	8,500.54	15.73
कुल	**2,61,885.40**	**2,60,718.07**	**(–) 1,167.33**	**(–) 0.45**

(स्रोतः वर्ष 2023–24 के विस्तृत विनियोग लेखे)

* *मूल प्रावधान से वास्तविकी की अधिकता को (+) चिन्ह् के रूप में और मूल प्रावधान से कमी को (–) चिन्ह् के रूप में दर्शाया गया है।*

सभी 52 अनुदानों के अंतर्गत बजट अनुमान (ब0अ0) की तुलना में वास्तविक उत्पादकता (प्रतिशत में) का विचलन राजस्व खण्ड ((–) 4.65 प्रतिशत) और पूँजीगत खण्ड ((+) 15.73 प्रतिशत), **तालिका 3.3 (ब)** में वर्णित है।

---

[2] *व्यय की कुछ श्रेणियां (उदाहरण के लिए संवैधानिक अधिकारियों का वेतन, ऋण भुगतान, आदि) राज्य की समेकित निधि पर भारित होती है और विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं।*

[3] *अन्य सभी व्यय विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन होते हैं।*

तालिका 3.3(ब) : वास्तविक उत्पादकता का प्रतिशत विचलन

विचलन की सीमा (±) (प्रतिशत में)	अनुदानों की संख्या (राजस्व खण्ड)	अनुदानों की संख्या (पूँजीगत खण्ड)	कुल
25 तक	29	8	37
>25 से 50 तक	18	7	25
>50 से 100 तक	2	13	15
100 और अधिक	1	5	06
कोई विचलन नही *	2	19	21
	52	**52**	**104**

(स्रोतः वर्ष 2023–24 के विनियोग लेखे)

** 21 अनुदानों (राजस्व खंड में दो और पूँजीगत खंड में 19) में कोई भी विचलन दर्ज नहीं किया गया क्योंकि उनमें कोई भी बजटीय प्रावधान नहीं किया गया था।*

3.1.3.2 व्यय संरचना की उत्पादकता

व्यय संरचना की उत्पादकता यह निर्धारित करती है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के मध्य निधियों का पुनर्आवंटन ने व्यय की संरचना को किस स्तर तक प्रभावित किया है, जैसा कि **तालिका 3.4(अ)** में वर्णित है।

तालिका 3.4 (अ): व्यय संरचना की उत्पादकता (वित्त वर्ष 2023–24)

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल अनुमोदित बजट (ब0अ0)	पुनरीक्षित अनुमान (पुन0अ0)	वास्तविक उत्पादकता	वास्तविक उत्पादकता एवं पुन0अ0 के बीच अंतर	पुन0अ0 के संबंध में कॉलम 5 का प्रतिशत विचलन
1	2	3	4	5 (4-3)	6
राजस्व	2,07,848.00	2,50,023.84	1,98,180.13	(–) 51,843.71	(–) 20.74
पूँजीगत	54,037.40	64,926.70	62,537.94	(–) 2,388.77	(–) 3.68
कुल	**2,61,885.40**	**3,14,950.54**	**2,60,718.07**	**(–) 54,232.48**	**(–) 17.22**

(स्रोतः वर्ष 2023–24 के विनियोग लेखे)

** मूल प्रावधान से वास्तविकी की अधिकता को (+) चिन्ह् के रूप में और मूल प्रावधान से कमी को (–) चिन्ह् के रूप में दर्शाया गया है।*

सभी 52 अनुदानों का राजस्व खण्ड ((–) 20.74 प्रतिशत) और पूँजीगत खण्ड ((–) 3.68 प्रतिशत) के अंतर्गत पुनरीक्षित अनुमान (पुन0अ0) की तुलना में वास्तविक उत्पादकता (प्रतिशत में) का विचलन **तालिका 3.4(ब)** में वर्णित है।

तालिका 3.4 (ब): पुनरीक्षित अनुमान से वास्तविक उत्पादकता का प्रतिशत विचलन

विचलन की सीमा (±) (प्रतिशत में)	अनुदानों की संख्या (राजस्व खण्ड)	अनुदानों की संख्या (पूँजीगत खण्ड)	कुल
25 तक	33	14	47
>25 से 50 तक	13	11	24
>50 से 100 तक	4	8	12
100 और अधिक	0	1	1
कोई विचलन नही *	2	18	20
	52	**52**	**104**

(स्रोतः 2023–24 के विनियोग लेखे)

** 20 अनुदानों (राजस्व खंड में दो और पूँजीगत खंड में 18) में कोई भी विचलन दर्ज नहीं किया गया क्योंकि उनमें कोई भी प्रावधान नहीं किया गया था।*

3.2 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे, विनियोग अधिनियम द्वारा बजट के दोनों मदों, भारित एवं दत्तमत के रूप में मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण, बचत तथा पुनर्विनियोगों को अलग–अलग दर्शाते हैं

और विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत और राजस्व व्यय को इंगित करते है। इस प्रकार, विनियोग लेखे निधि के उपयोग, वित्त प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की निगरानी को समझना सुगम करते हैं।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, विनियोग लेखे के लेखापरीक्षा से यह सुनिश्चित करते हैं कि 52 अनुदानों के तहत किया गया व्यय वास्तव में विनियोग अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकार के अनुरूप हैं अथवा नहीं एवं ऐसे व्यय जिसे संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 202) के तहत भारित किये जाने की आवश्यकता है उसे निर्दिष्ट प्रकार से प्रभारित किया गया है। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि किया गया व्यय कानूनों, प्रासंगिक नियमों, विनियमों एवं निर्देशों के अनुरूप है।

3.3 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता

बजटीय संपूर्णता का अर्थ लोक निधि को जनहित के अनुसार उपयुक्त रूप से व्यय किया जाना है। बजट विश्वसनीय होना चाहिए एवं राजकोषीय और वित्तीय प्रतिवेदन में निहित सूचनाएँ भरोसेमंद होनी चाहिए। बजट की प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता अंततः व्यय को वास्तविक रूप से नियोजित करने, अपने कार्यक्रमों और योजनाओं को ससमय और कुशलतापूर्वक लागू करने की विभाग की क्षमता पर निर्भर करती है।

3.3.1 विनियोग अधिनियम द्वारा अधिदिष्टि के बिना (लोक लेखे में) अंतरण

यह देखा गया कि निधियों को बजट में प्रावधान के पश्चात, व्यय हेतु, वित्त विभाग द्वारा प्रशासनिक विभागों को भेजा जाता है। तत्पश्चात संबंधित विभाग द्वारा प्रावधानित राशि का आहरण कर आगे भुगतान के लिए इसे लोक लेखे में अंशतः या पूर्णतः जमा करा दिया जाता है, भले ही इसकी तत्काल आवश्यकता न हो।

लोक लेखा में अंतरित निधियों का शीर्ष–वार विवरण **तालिका 3.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.5: मुख्य शीर्ष 8443 और 8448 में अंतरित निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	मुख्य शीर्ष–8448 में अंतरण				मुख्य शीर्ष–8443 में अंतरण			
	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
प्राप्तियाँ	276.69	325.57	438.83	338.92	0	0.05	0.59	2.64
राजस्व व्यय	11,876.36	12,454.01	8,780.60	12,295.37	538.88	435.82	228.14	320.86
पूँजीगत व्यय	9,166.60	10,564.51	9,965.26	11,072.28	1,330.20	1,394.31	1,307.33	1,364.00
ऋण और अग्रिम	605.79	731.48	1,406.50	1,619.09	0	0	0	0
कुल	**21,925.44**	**24,075.57**	**20,591.19**	**25,325.66**	**1,869.08**	**1,830.18**	**1,536.06**	**1,687.50**

(स्रोतः 2020–21, 2021–22 और 2022–23 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और 2023–24 के लिए महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े)

यह देखा गया कि 21 अनुदानों की 131 उप–शीर्षों/योजनाओं के तहत ₹ 6,777.10 करोड़, जो वर्ष के लिए इन योजनाओं के तहत कुल व्यय के बराबर था, की राशि लोक लेखे के अंतर्गत दो लेखाशीर्षों में अंतरित की गई थी।

इन 131 उप–शीर्षों/योजनाओं में से पाँच उप–शीर्षों/योजनाओं, जिनमें 100 प्रतिशत व्यय लोक लेखे में धनराशि अंतरित करके किया गया था, को **तालिका 3.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.6: मुख्य शीर्ष 8443 और 8448 में 100 प्रतिशत निधियों का अंतरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष–योजना	बजट	व्यय	अंतरित राशि
1	48	5075–60–190–0101–पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	620.00	590.00	590.00
2	20	4210–03–789–0101– मेडिकल कॉलेज के लिए	538.14	538.12	538.12
3	10	4801–05–190–0107–उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एन0बी0पी0डी0सी0एल0) का प्रोजेक्ट	503.00	503.00	503.00
4	20	2210–05–105–0017–इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना	500.00	491.47	491.47
5	37	4515–00–103–0519–मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (एन0डी0बी0) (ब्रिक्स बैंक सहायता प्राप्त)	700.00	455.00	455.00
		कुल	**2,861.14**	**2,577.59**	**2,577.59**

(स्रोतः महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

कुछ अन्य योजनाओं का विवरण, जिनमें 2023–24 के दौरान महत्वपूर्ण धनराशि (₹ 750 करोड़ या अधिक) लोक लेखे में अंतरित/जमा की गई, **तालिका 3.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.7: मुख्य शीर्ष 8443 और 8448 में निधियों का अंतरण (₹ 750 करोड़ या अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या–योजना	कुल बजट	कुल व्यय	लोक लेखे में अंतरित
1	22–4055–00–051–0101– पुलिस भवनों का निर्माण एवं रख–रखाव	865.63	913.96	798.76
2	35–4070–00–051–0107– मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना	1,114.48	1,069.91	1,068.48
3	12–6202–01–190–0101– बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम	1,600.00	1,603.09	1,600.00
4	37–4515–00–789–0104– मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना	2,400.00	1,900.00	1,146.00
5	48–2215–02–105–0101– ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन–सात निश्चय–2	4,121.00	4,049.01	4,000.00
6	37–3054–04–105–0001– ग्रामीण सड़क– अन्य रख–रखाव व्यय	4,000.00	3,821.57	3,577.48
	कुल	**14,101.11**	**13,357.54**	**12,190.72**

(स्रोतः विनियोग लेखे एवं महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),बिहार कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

3.3.2 अनावश्यक /अत्यधिक अनुपूरक अनुदान

संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, विनियोग अधिनियम द्वारा वर्ष के लिए किए गए प्रावधान के अतिरिक्त, अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किया जा सकता है।

जब ऐसे अतिरिक्त व्यय, जो कि अपरिहार्य हो, और उसकी प्रतिपूर्ति के लिए उस अनुदान में अतिरिक्त राशि के बचत होने की कोई संभावना न हो जिसे पुनर्विनियोग के माध्यम से पूरा किया जा सके, तब संबंधित विभाग के सचिव वित्त विभाग को अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन के लिए प्रस्ताव रखते हैं जिसे बाद में अनुपूरक बजट के माध्यम से विधायिका द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

2023–24 के दौरान, 13 विभिन्न अनुदानों, के 13 मामलों में, ₹ 11,042.66 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ या अधिक) की राशि के अनुपूरक बजट अनावश्यक/अत्यधिक साबित हुए और पूरी तरह से अप्रयुक्त रहे, क्योंकि इन अनुदानों में व्यय (₹ 50,659.58 करोड़) मूल प्रावधान (₹ 68,728.26 करोड़) के स्तर तक भी नहीं पहुँचा जैसा कि ***परिशिष्ट 3.1*** में वर्णित है।

3.3.3 अनावश्यक एवं अधिक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन का अर्थ, सक्षम प्राधिकारी द्वारा, विनियोग की एक इकाई से बचत का उसी अनुदान अथवा भारित विनियोग के अंतर्गत किसी अन्य इकाई में अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए किया गया अंतरण है। इस प्रकार सरकार को निर्धारित सीमाओं और प्रतिबंधों के अधीन, एक उद्देश्य के लिए मूल प्रावधान को एक ही अनुदान के अंतर्गत विनियोग की एक इकाई से दूसरी इकाई में पुनर्विनियोजन की अनुमति है।

वर्ष 2023–24 के विस्तृत विनियोग लेखे से यह परिलक्षित हुआ कि:

i. चार अनुदानों के अंतर्गत 14 मामलों में ₹ 216.97 करोड़ का पुनर्विनियोजन अनावश्यक साबित हुआ, क्योंकि व्यय बजट प्रावधान के स्तर तक भी नहीं पहुंचा और ₹ 566.65 करोड़ की अंतिम बचत (प्रत्येक मामले में ₹ पाँच करोड़ या अधिक) हुई ***(परिशिष्ट 3.2)***।

ii. यद्यपि पुनर्विनियोजन के माध्यम से चार अनुदानों के अंतर्गत सात मामलों में ₹ 877.71 करोड़ की राशि प्रदान की गई, ₹ 190.56 करोड़ की अंतिम बचत (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या अधिक) हुई ***(परिशिष्ट 3.3)***।

निधियों का पुनर्विनियोजन अनावश्यक/अधिक साबित हुए क्योंकि व्यय मूल/कुल बजट प्रावधानों के स्तर तक नहीं पहुंचा। यह संकेत करता है कि वास्तविक आवश्यकताओं का आकलन किए बिना इनमें पुनर्विनियोजन किया गया।

3.3.4 अव्ययित राशि, अभ्यर्पित विनियोग और/या वृहत् बचत/अभ्यर्पण

2023–24 के दौरान, 42 मामले (32 अनुदानों से संबंधित) ऐसे थे, जहां प्रत्येक मामले में दत्तमत और भारित व्यय के तहत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की बचत हुई। यह कुल ₹ 66,461.86 करोड़ (₹ 2,77,249.71 करोड़ के कुल प्रावधान का 23.97 प्रतिशत) की बचत थी, जैसा कि ***(परिशिष्ट 3.4)*** में वर्णित है।

इसके अलावा, वर्ष के दौरान आठ अनुदानों में ₹ 500 करोड़ से अधिक एवं 30 प्रतिशत और उससे अधिक की महत्वपूर्ण बचत के मामले थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 27,852.39 करोड़ (₹ 69,341.24 करोड़ के कुल प्रावधान का 40.17 प्रतिशत) की महत्वपूर्ण बचत हुई ***(परिशिष्ट 3.5)***।

विगत पाँच वर्षों के दौरान 12 अनुदानों में प्रत्येक अनुदान/विनियोजन में ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक की सतत् बचत हुई, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक वर्ष ₹ 51,187.57 करोड़ की न्यूनतम बचत हुई, जैसा कि ***(परिशिष्ट 3.6)*** में बताया गया है।

सतत् बचत से संकेत मिलता है कि विगत वर्षों में व्यय की प्रवृतियों पर विचार किए बिना बजट प्रावधान किए गए थे।

बचत के प्रतिशत के आधार पर समूहीकृत अनुदानों/विनियोजनों की संख्या, वित्तीय वर्ष के दौरान उनकी कुल बचत के साथ **चार्ट 3.3** में प्रस्तुत की गई है।

चार्ट 3.3: बचत की राशि के साथ बचत के प्रतिशत के आधार पर समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या

(₹ करोड़ में)

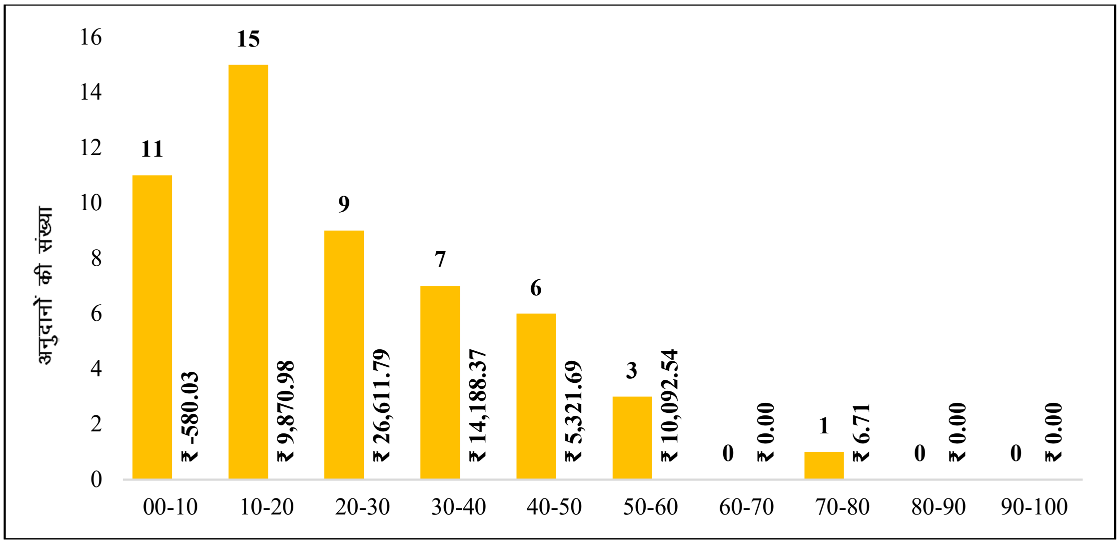

(स्रोतः वर्ष 2023–24 के विनियोग लेखे)

चार्ट 3.3 दर्शाता है कि 52 में से 17 अनुदानों में 30 प्रतिशत से अधिक की बचत थी, जो ₹ 29,609.31 करोड़ की महत्वपूर्ण राशि है। ₹ 29,609.31 करोड़ की बचत ₹ 65,512.05 करोड़ की कुल बचत का 45.20 प्रतिशत थी।

बिहार बजट संहिता, 2016 की कंडिका 104 के अनुसार, अतिरिक्त व्यय, जो निश्चित रूप से पूर्वानुमानित नही हों अथवा सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदित नही हों, को पूरा करने के लिए बचत मे से कोई राशि आरक्षित नहीं रखी जानी चाहिए।

बचत का अभ्यर्पण संबंधित वित्तीय वर्ष के 15 फरवरी तक राज्य के वित्त विभाग को कर दिया जाना चाहिए। असाधारण मामलों में अभ्यर्पण संबंधित वर्ष के 31 मार्च तक समर्पित किया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान बचत और अभ्यर्पण को **चार्ट 3.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.4: वित्तीय वर्ष 2023–24 की समाप्ति से पहले बचत और अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

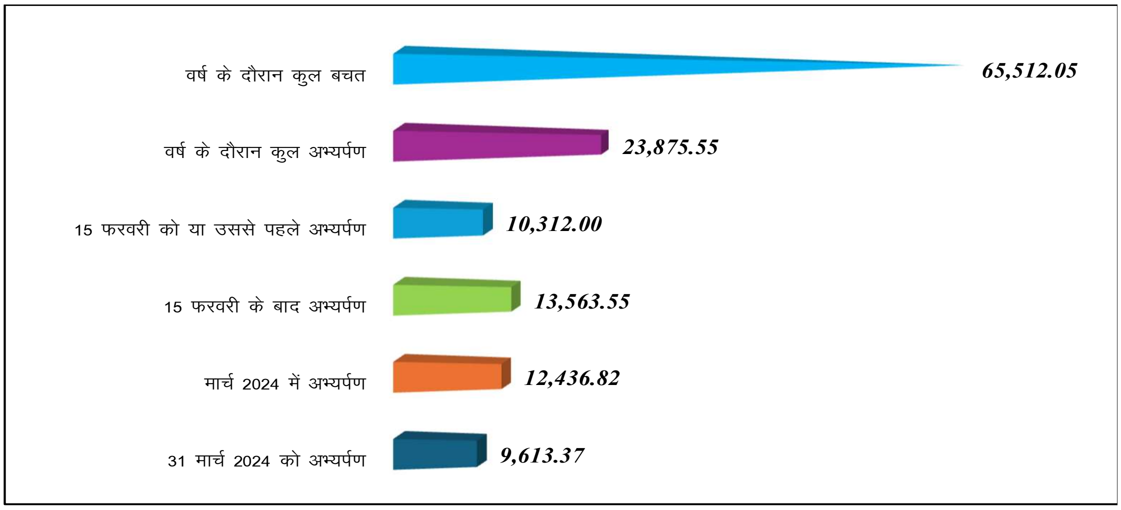

(स्रोतः वर्ष 2023–24 के विनियोग लेखे)

जैसा कि **चार्ट 3.4** से स्पष्ट है कि बिहार बजट संहिता के तहत निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 15 फरवरी के बाद ₹ 13,563.55 करोड़ (कुल अभ्यर्पित राशि का 56.81 प्रतिशत) की राशि अभ्यर्पित की गई। इन अभ्यर्पणों के अलावा, मार्च महीने में ₹ 12,436.82 करोड़ की राशि अभ्यर्पित की गई। इसमें से ₹ 9,613.37 करोड़ मार्च महीने के अंतिम दिन अभ्यर्पित किए गए। नौ अनुदानों के तहत ₹ 21,586.93 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 500 करोड़ या अधिक) के अभ्यर्पण के महत्वपूर्ण मामलों का विवरण ***परिशिष्ट 3.7*** में दिया गया है।

3.3.5 अधिकाई व्यय और उसका नियमितीकरण

संविधान के अनुच्छेद 205(1)(ख) में यह प्रावधान है कि यदि किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर उस सेवा और उस वर्ष के लिए स्वीकृत राशि से अधिक राशि व्यय की गई है, तो राज्यपाल उस वित्तीय वर्ष की सेवाओं के लिए विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिसमें अधिकाई व्यय किया गया था।

यद्यपि, अनुच्छेद के तहत अधिकाई व्यय के नियमितीकरण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन अत्यधिक व्यय का नियमितीकरण लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखे पर चर्चा पूरी होने के बाद किया जाता है।

3.3.5.1 अधिकाई व्यय

वर्ष के लिए प्रावधान से अधिक व्यय न केवल विधायी अनुमोदन की आवश्यकता वाले प्रावधानों का उल्लंघन है, बल्कि खराब योजना का भी संकेत है, जिसे बजट के उद्देश्य के साथ व्यय प्रगति पर नजर रखकर रोका जा सकता है। वित्तीय वर्ष के प्रावधान से अधिक व्यय के मामलों की सावधानीपूर्वक जाँच की जानी चाहिए।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा द्वारा बजट प्रावधान से अधिक व्यय के कुछ मामलों को देखा गया। विवरण **तालिका 3.8** में दिया गया है।

तालिका 3.8 : बजटीय प्रावधानों से अधिक व्यय का विवरण

(₹ लाख में)

राजस्व/पूँजीगत	दत्तमत/भारित	विभाग/अनुदान का नाम	
		सड़क निर्माण (अनुदान संख्या 41)	ग्रामीण विकास (अनुदान संख्या 42)
पूँजीगत	दत्तमत	3,942.96	1.40
राजस्व	दत्तमत	–	2.53
कुल		**3,942.96**	**3.93**
महायोग		**3,946.89 (₹ 39.47 करोड़)**	

(स्रोतः वर्ष 2023–24 के विनियोग लेखे)

तालिका 3.8 में दो अनुदानों (अनुदान संख्या 41 और 42) में बजट प्रावधानों से ₹ 39.47 करोड़ अधिक व्यय दर्शाया गया है। यह अधिकाई व्यय बजट प्रावधानों के विपरीत है और इसके नियमितीकरण की आवश्यकता है।

3.3.5.2 पिछले वित्तीय वर्षों के अधिकाई व्यय का विनियमन

पिछले वर्षों से संबंधित अधिकाई व्यय के मामलों जिनको नियमित करने की आवश्यकता है, उनका विवरण **तालिका 3.9** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.9 : नियमितीकरण की आवश्यकता वाले पिछले वर्षों से संबंधित व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अधिकाई व्यय	वर्ष	अधिकाई व्यय
पशुपालन विभाग			
1987–88	6.92	1992–93	87.77
1988–89	6.13	1993–94	125.03
1989–90	8.65	1994–95	170.61
1990–91	29.29	1995–96	146.49
1991–92	70.72	1996–97	6.37
विधानमंडल			
2019–20	2.30		
कुल	**660.28**		

(स्रोतः महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, कार्यालय के लोक लेखा समिति अनुभाग द्वारा दी गई सूचना)

नियमितीकरण किये जाने वाले कुल ₹ 660.28 करोड़ के अधिकाई व्यय में से ₹ 657.98 करोड़ का मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

3.4 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता

3.4.1 बजट अनुमान और अपेक्षा एवं वास्तविकी के बीच अंतर

कर प्रशासन/अन्य प्राप्तियों और सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न राजकोषीय संकेतकों की उपलब्धि के लिए निर्णायक कारक हैं।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान बजट (मूल/अनुपूरक) के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारभूत स्थिति **तालिका 3.10** में दर्शायी गयी है।

तालिका 3.10: वर्ष 2023–24 के दौरान बजट प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारभूत स्थिति

(₹ करोड़ में)

0;; dh ç–fr		vuqnkuksa dh la[;k	ey vuqnku@ fofu;ksx	vuqiwjd vuqnku@ fofu;ksx	dqy vuqnku@ fofu;ksx	okLrfod 0;;	cpr	vH;fiZr jkf'k	ekpZ 2024 esa vH;fiZr dh xbZ jkf'k	ekpZ 2024 esa vH;fiZr cprksa dk çfr'kr ¼dkye tS@dkye ,p ×100½
,	ch	lh	Mh	bZ	,Q	th	,p	vkbZ	tS	dS
nÙker	i. राजस्व	47	1,87,677.27	48,152.13	2,35,829.40	1,78,642.05	57,187.35	19,457.21	11,187.37	19.56
	ii. पूँजीगत	33	29,257.31	14,848.05	44,105.36	37,422.70	6,682.66	4,335.07	1,249.45	18.70
	iii. ऋण और अग्रिम	7	1,221.40	1,151.02	2,372.42	2,135.86	236.56	83.27	0	.
dqy nÙker			2]18]155-98	64]151-20	2]82]307-18	2]18]200-61	64]106-57	23]875-55	12]436-82	19-41
Hkkfjr	iv. राजस्व	8	20,170.73	193.52	20,364.25	19,538.08	826.17	.	0	.
	v पूँजीगत		.	.	.	.	.	.	0	.
	vi लोक ऋण अदायगी	1	23,558.69	.	23,558.69	22,979.38	579.31	.	0	.
dqy Hkkfjr			43]729-42	193-52	43]922-94	42]517-46	1]405-48	-	0	-
dqy ;kx			2]61]885-40	64]344-72	3]26]230-12	2]60]718-07	65]512-05	23]875-55	12]436-82	19-00

(स्रोतः वर्ष 2023–24 के विनियोग लेखे)

नोटः व्यय में राजस्व व्यय की वसूली/वापसी की राशि ₹ 7,301.87 करोड़ और पूँजीगत व्यय की वसूली/वापसी की राशि ₹ 969.68 करोड़ है जो व्यय में कमी के रूप में समायोजित की गई है।

जैसा कि **तालिका 3.10** से स्पष्ट है, वर्ष के दौरान कुल ₹ 3,26,230.12 करोड़ के प्रावधानों के सापेक्ष केवल ₹ 2,60,718.07 करोड़ (79.92 प्रतिशत) व्यय हुआ। यह द्योतक है कि ₹ 64,344.72 करोड़

के अनुपूरक बजट परिहार्य थे, क्योंकि अंतिम व्यय मूल प्रावधानों (₹ 2,61,885.40 करोड़) के स्तर तक भी नहीं पहुंचा।

राजस्व खण्ड के अन्तर्गत 47 अनुदानों और आठ विनियोगों में ₹ 58,013.52 करोड़ की बचत और पूँजीगत खण्ड के अन्तर्गत 33 अनुदानों और एक विनियोग में ₹ 7,498.53 करोड़ की बचत से कुल ₹ 65,512.05 करोड़ की बचत हुई।

वर्ष के दौरान ₹ 65,512.05 करोड़ की कुल बचत में से केवल 36.44 प्रतिशत (₹ 23,875.55 करोड़) ही अभ्यर्पित की गई। इसके परिणामस्वरूप कुल बचत में से ₹ 41,636.50 करोड़ (63.56 प्रतिशत) बचत अभ्यर्पित नहीं की गई। कुल बचत अनुपूरक बजट से अधिक थी।

बजट में कुल प्रावधानों के मुकाबले कुल बचत के प्रतिशत के रूप में **चार्ट 3.5** में दिखाए गए हैं।

चार्ट 3.5: 2019–20 से 2023–24 के दौरान बजट का उपयोग

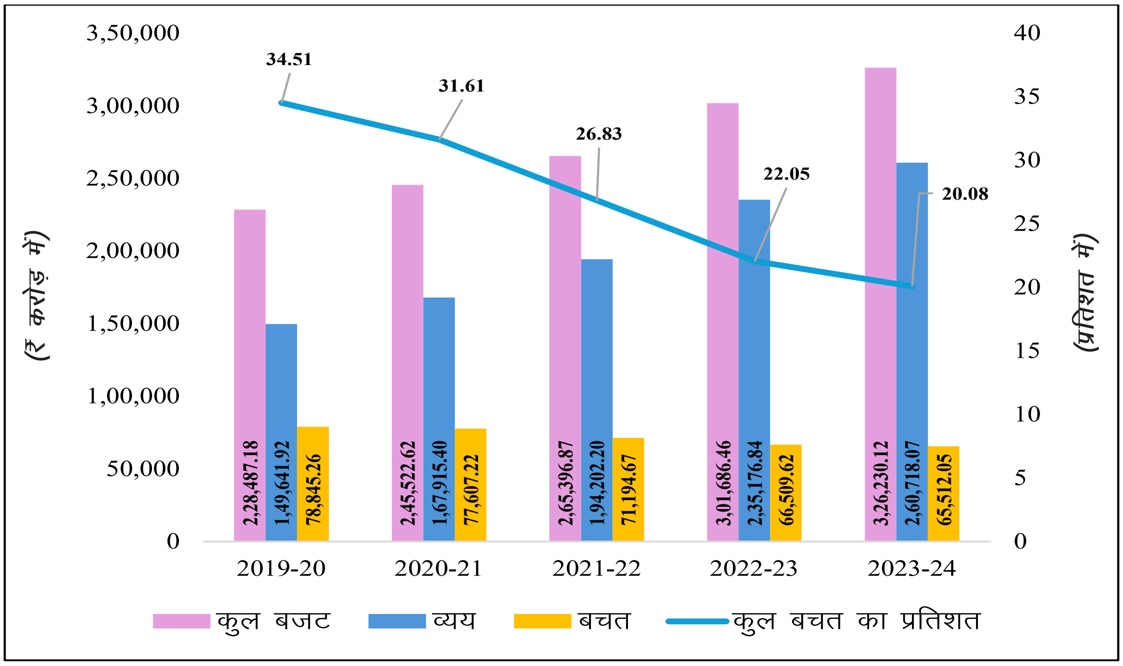

(स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

बचत के प्रवृत्ति विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि विगत पाँच वर्षों के दौरान, कुल बजट के सापेक्ष कुल बचत 20.08 प्रतिशत से 34.51 प्रतिशत तक थी। यह दर्शाता है कि बजटीय आवंटन अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित थे क्योंकि राज्य के बजट अनुमान बढ़ा–चढ़ाकर बताए गए थे और वास्तविक व्यय बजटीय प्रावधानों से कम था।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने 11 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 20 योजना लेखा शीर्षों में ₹ 7,567.93 करोड़ राशि के संपूर्ण बजट प्रावधान (₹ 100 करोड़ एंव अधिक) के उपयोग न किए जाने के कुछ प्रमुख मामलों का विश्लेषण किया, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.8*** में वर्णित है।

3.4.2 बजट और उसके क्रियान्वयन का प्रवृति विश्लेषण

3.4.2.1 बजट अनुमान, पुनरीक्षित अनुमान और व्यय की प्रवृति

वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2023–24 के दौरान मूल बजट, पुनरीक्षित अनुमान और वास्तविक व्यय की प्रवृति **तालिका 3.11** में दिया गया है।

तालिका 3.11: 2019–20 से 2023–24 के दौरान मूल बजट, पुनरीक्षित बजट एवं वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
1	मूल बजट	2,00,501.01	2,11,761.50	2,18,302.70	2,37,691.21	2,61,885.40
2	अनुपूरक बजट	27,986.17	33,761.12	47,094.17	63,995.25	64,344.72
3	**कुल बजट (1+2)**	**2,28,487.18**	**2,45,522.62**	**2,65,396.87**	**3,01,686.46**	**3,26,230.12**
4	पुनरीक्षित अनुमान (पुन0अ0)	2,18,729.55	2,29,716.91	2,58,632.52	2,89,734.83	3,14,950.54
5	वास्तविक व्यय	1,49,641.92	1,67,915.40	1,94,202.20	2,35,176.84	2,60,718.07
6	**बचत (3–5)**	**78,845.26**	**77,607.22**	**71,194.67**	**66,509.62**	**65,512.05**
7	मूल प्रावधान के सापेक्ष अनुपूरक प्रावधान का प्रतिशत	13.96	15.94	21.57	26.92	24.57
8	समग्र प्रावधान के सापेक्ष समग्र बचत/ आधिक्य का प्रतिशत	34.51	31.61	26.83	22.05	20.08
9	कुल बजट – पुन0अ0	9,757.63	15,805.71	6,764.35	11,951.63	11,279.58
10	पुन0अ0 – वास्तविक व्यय	69,087.63	61,801.51	64,430.32	54,557.99	54,232.47
11	(कुल बजट – पुन0अ0) कुल बजट प्रावधान के प्रतिशत के रूप में	4.27	6.44	2.55	3.96	3.46
12	(पुन0अ0 – वास्तविक व्यय) कुल बजट प्रावधान के प्रतिशत के रूप में	30.24	25.17	24.28	18.08	16.62

(स्रोतः संबंधित वित्तीय वर्षों के वार्षिक वित्तीय विवरण और विनियोग लेखे)

विगत पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान, राज्य का मूल बजट (बजट अनुमान) उसके तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के कुल बजट से कम था। हालाँकि, इन मूल बजटों को बाद में अनुपूरक बजटों से अतिरिक्त प्रावधान करके बढ़ा दिया गया था। ये अनुपूरक बजट एक वित्तीय वर्ष के मूल बजट के 13.96 प्रतिशत से 26.92 प्रतिशत तक थे। पिछले तीन वित्तीय वर्षों में बनाए गए अनुपूरक बजट, मूल बजट के 20 प्रतिशत से अधिक थे। हालाँकि, प्रत्येक वर्ष, वास्तविक व्यय उस वर्ष के मूल बजट से कम था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कुल बजटीय प्रावधानों को बढ़ा–चढ़ाकर पेश किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक व्यय मूल बजटीय प्रावधानों से कम रहा।

3.4.2.2 विभिन्न योजना श्रेणियों में बचत की प्रवृत्ति

राज्य के बजट को आम तौर पर छह भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें बिल कोड के चार अंकों वाले उपशीर्ष के पहले दो अंकों के आधार पर पहचाना जा सकता है। उपरोक्त वर्गीकरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 का बजट **तालिका 3.12** में दर्शाया/प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 3.12: वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए श्रेणीवार बजट प्रावधान और उसके विरूद्ध व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का प्रकार	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	व्यय	कुल बचत	बचत प्रतिशत में
1	स्थापना और प्रतिबद्ध	1,61,855.67	19,017.34	1,80,873.01	1,54,381.74	26,491.27	40.44
2	केंद्रांश (सी0एस0एस0)	44,712.64	3,397.09	48,109.73	21,480.17	26,629.56	40.65
3	राज्यांश (सी0एस0एस0)	14,613.02	15,791.29	30,404.31	25,370.19	5,034.12	7.68
4	राज्य योजनाएं	37,941.34	25,674.70	63,616.04	57,439.07	6,176.97	9.43

क्र. सं.	योजना का प्रकार	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	व्यय	कुल बचत	बचत प्रतिशत में
5	केंद्रीय क्षेत्र योजना	29.73	64.30	94.03	88.67	5.36	0.01
6	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	2,733.00	400.00	3,133.00	1,958.23	1,174.77	1.79
	कुल	**2,61,885.40**	**64,344.72**	**3,26,230.12**	**2,60,718.07**	**65,512.05**	**100**

(स्रोतः वर्ष 2023–24 के विनियोग लेखे)

तालिका 3.12 से स्पष्ट है कि 2023–24 के दौरान कुल ₹ 65,512.05 करोड़ की बचत हुई। ₹ 65,512.05 करोड़ की इन कुल बचतों में से ₹ 31,663.68 करोड़ (48.33 प्रतिशत) केंद्र प्रायोजित योजनाओं से संबंधित था।

इसके अलावा केंद्र प्रायोजित योजनाओं का वित्त पोषण, केंद्र और राज्य द्वारा संबंधित योजना दिशानिर्देशों के तहत उल्लिखित पूर्व निर्धारित अनुपात में किया जाता है। इस संदर्भ में, बजट, व्यय और बचत में केंद्र और राज्य के हिस्से का अनुपात स्थिर होना चाहिए। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पिछले पाँच वर्षों में बजट, व्यय और बचत में केंद्र और राज्य के हिस्से के अनुपात की समीक्षा की, जिसे **तालिका 3.13** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 3.13: 2019–24 के दौरान केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत बजट, व्यय और बचत के विभिन्न चरणों में केन्द्रांश और राज्यांश का अनुपात

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजनाएँ एवं घटक		2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
1	मूल बजट	सी0एस0एस0 के लिए केन्द्रांश	37,407.69	39,236.09	42,026.28	46,019.44	44,712.64
2		केन्द्रांश का प्रतिशत	67.05	70.22	74.28	76.94	75.37
3		सी0एस0एस0 के लिए राज्यांश	18,380.03	16,638.17	14,551.68	13,789.55	14,613.02
4		राज्यांश का प्रतिशत	32.95	29.78	25.72	23.06	24.63
5		**कुल (1+3)**	**55,787.72**	**55,874.26**	**56,577.96**	**59,808.99**	**59,325.66**
6	अनुपूरक बजट	सी0एस0एस0 के लिए केंद्रांश	2,291.70	1,808.07	2,355.57	3,502.91	3,397.09
7		केन्द्रांश का प्रतिशत	28.00	23.50	13.15	11.98	17.70
8		सी0एस0एस0 के लिए राज्यांश	5,893.53	5,886.15	15,553.97	25,725.78	15,791.29
9		राज्यांश का प्रतिशत	72.00	76.50	86.85	88.02	82.30
10		**कुल (6+8)**	**8,185.23**	**7,694.22**	**17,909.54**	**29,228.69**	**19,188.38**
11	कुल बजट	सी0एस0एस0 के लिए केंद्रांश	39,699.39	41,044.16	44,381.85	49,522.35	48,109.73
12		केन्द्रांश का प्रतिशत	62.06	64.57	59.58	55.62	61.28
13		सी0एस0एस0 के लिए राज्यांश	24,273.56	22,524.32	30,105.65	39,515.33	30,404.31
14		राज्यांश का प्रतिशत	37.94	35.43	40.42	44.38	38.72
15		**कुल (11+13)**	**63,972.95**	**63,568.48**	**74,487.50**	**89,037.68**	**78,514.04**
16	वास्तविक व्यय	सी0एस0एस0 के लिए केंद्रांश	14,988.13	16,766.59	19,683.43	25,985.02	21,480.17
17		केन्द्रांश का प्रतिशत	45.13	48.25	46.13	45.06	45.85
18		सी0एस0एस0 के लिए राज्यांश	18,221.28	17,981.57	22,989.93	31,685.20	25,370.19
19		राज्यांश का प्रतिशत	54.87	51.75	53.87	54.94	54.15
20		**कुल (16+18)**	**33,209.41**	**34,748.16**	**42,673.36**	**57,670.22**	**46,850.36**

क्र.सं.	योजनाएँ एवं घटक		2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
21	बचत	सी0एस0एस0 के लिए केंद्रांश	24,711.26	24,277.57	24,698.42	23,533.38	26,629.56
22		केन्द्रांश का प्रतिशत	80.33	84.24	77.63	75.03	84.10
23		सी0एस0एस0 के लिए राज्यांश	6,052.28	4,542.75	7,115.72	7,830.13	5,034.12
24		राज्यांश का प्रतिशत	19.67	15.76	22.37	24.97	15.90
25		**कुल (21+23)**	**30,763.54**	**28,820.32**	**31,814.14**	**31,363.51**	**31,663.68**

(स्रोतः वर्ष 2023–24 के विनियोग लेखे)

जैसा कि **तालिका 3.13** से देखा जा सकता है:

i. सी0एस0एस0 के लिए, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बजट प्रावधानों का अनुपात मूल बजट, अनुपूरक बजट और कुल बजट के लिए तय किया गया है। तदनुसार, राज्य सरकार को बजट के प्रत्येक चरण में अपना हिस्सा आवंटित करना था। हालांकि, पिछले पाँच वर्षों के दौरान, सी0एस0एस0 के लिए राज्य के बजट प्रावधानों का अनुपात तय अनुपात के अनुसार नहीं था, प्रत्येक वर्ष बजट के प्रत्येक चरण में इनमें भिन्नता थी। राज्य सरकार ने इन योजनाओं के लिए मूल बजट में, केंद्रांश का हिस्सा बजट प्रावधानों का अपेक्षाकृत उच्च प्रतिशत (यानी तय अनुपात से अधिक) में रखा। समानांतर रूप से, सरकार ने इन योजनाओं के मूल बजट में योगदान के परिभाषित अनुपात की तुलना में इन योजनाओं के लिए राज्य का हिस्सा अपेक्षाकृत कम रखा। तत्पश्चात, अनुपूरक बजट के माध्यम से राज्य के हिस्से में वृद्धि की गई।

ii. पिछले पाँच वर्षों के दौरान, केंद्र और राज्य के हिस्से का व्यय अनुपात, योजना दिशा–निर्देशों के अनुरूप नहीं है। सी0एस0एस0 के मानदंडों के अनुसार, केंद्रीय हिस्सा आमतौर पर राज्य के हिस्से से अधिक होता है। हालांकि, पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्य के हिस्से में किया गया व्यय केंद्रीय हिस्से से अधिक है।

iii. केंद्रीय हिस्से में बचत की राशि बहुत बड़ी थी और सी0एस0एस0 योजनाओं के बजट में समग्र बचत का योगदान 75.03 प्रतिशत से 84.24 प्रतिशत के बीच था।

उपरोक्त द्योतक है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सी0एस0एस0) पर बजट और व्यय, केंद्र और राज्य सरकारों के लिए निर्धारित अनुपात के अनुसार नहीं किया गया है और इससे इन योजनाओं के केंद्रीय हिस्से में बचत हुई है।

3.4.3 बजट से भिन्नता के संबंध में अनुपलब्ध/अपूर्ण स्पष्टीकरण

बिहार राज्य के लिए विनियोग लेखे (उप–शीर्ष स्तर पर) पर टिप्पणियों के लिए अपनाए गए मानदंड **तालिका 3.14** में वर्णित हैं।

तालिका 3.14: विनियोग लेखे पर टिप्पणियों के लिए मानदंड

क्रम. सं.	अनुदानवार बजट प्रावधान	बचत(–)/ आधिक्य (+)	उप–शीर्षवार मानदंड
1	**2**	**3**	**4**
1	₹ 5.00 करोड़ तक	₹ 5.00 लाख	उप–शीर्ष स्तर पर प्रत्येक मामले में कॉलम संख्या 3 में दर्शाई गई राशि या उप–शीर्षवार प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो
2	₹ 5.00 करोड़ से अधिक लेकिन ₹ 50.00 करोड़ से कम	₹ 10.00 लाख	
3	₹ 50.00 करोड़ से अधिक लेकिन ₹ 100.00 करोड़ से कम	₹ 15.00 लाख	
4	₹ 100.00 करोड़ से अधिक लेकिन ₹ 500.00 करोड़ से कम	₹ 20.00 लाख	
5	₹ 500.00 करोड़ से अधिक	₹ 25.00 लाख	

(स्रोतः वर्ष 2023–24 के विनियोग लेखे)

वर्ष के लिए व्यय आँकड़ों के संकलन के बाद, सभी अनुदान नियंत्रण अधिकारियों को बिहार राज्य के अंतिम विनियोग लेखे में शामिल करने के लिए आधिक्य या बचत के कारण उल्लिखित करना

आवश्यक है। इसके लिए, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार द्वारा विभागों के नियंत्रण अधिकारियों को विनियोग लेखे का मसौदा उपलब्ध कराया गया था, जिसमें लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, अनुमोदित बजटीय आवंटन के संदर्भ में व्यय में भिन्नता के लिए कारण/स्पष्टीकरण मांगे गए थे।

हालांकि, 2023–24 के विनियोग लेखे के लिए, नियंत्रण अधिकारियों ने कुल मामलों के केवल 8.81 प्रतिशत में बजटीय आवंटन की तुलना में व्यय में भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया। सभी 52 अनुदानों/विनियोगों के तहत 1,793 मामलों के संबंध में भिन्नताओं के कारण मांगे गए थे। हालांकि, सरकारी विभागों के नियंत्रण अधिकारियों द्वारा 24 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत केवल 158 मामलों के संबंध में भिन्नताओं के कारण प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण की आवश्यकता वाले विनियोग लेखे में भिन्नताओं के मामले में प्राप्त स्पष्टीकरणों की स्थिति **चार्ट 3.6** में दिखाई गई है।

चार्ट 3.6: विनियोग लेखे में भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण का सारांश

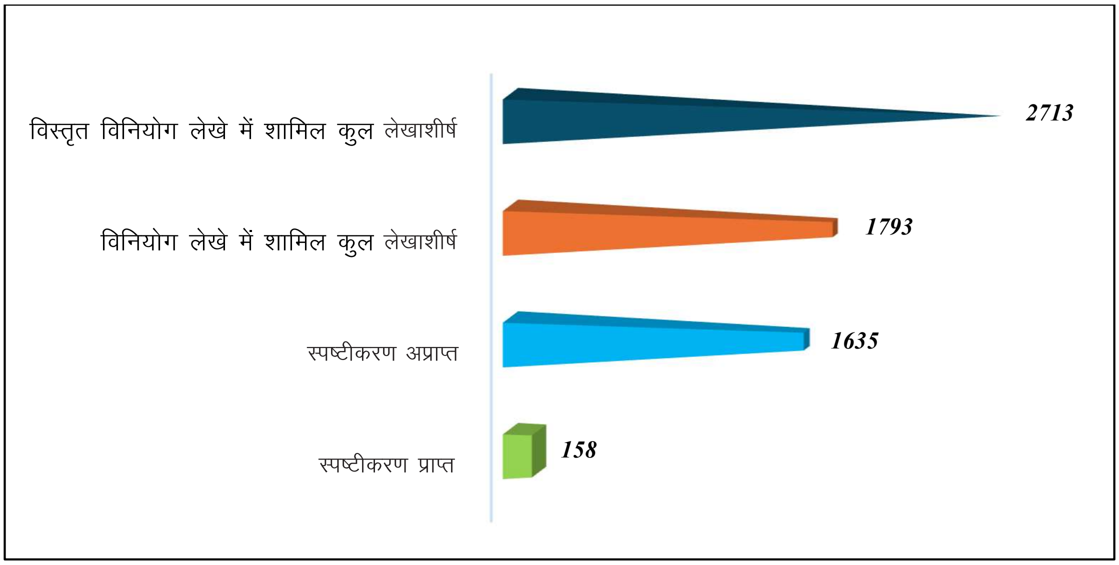

(स्रोतः वर्ष 2023–24 के विनियोग लेखे)

1,635 लेखा शीर्ष ऐसे हैं जिनमें ₹ 39,770.24 करोड़ की बचत और अधिकता का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

बजटीय आवंटन और उनकी उपयोग सीमाओं के बीच भिन्नताओं के स्पष्टीकरण के अभाव में, सरकार की वित्तीय जवाबदेही और बजट पर विधायी नियंत्रण को सक्षम बनाने के लिए विनियोग लेखे की सूचनात्मक उपयोगिता निरर्थक रही।

3.4.4 सघन व्यय

बिहार बजट संहिता, 2016 का नियम 125 यह निर्धारित करता है कि जब तक कि अपरिहार्य न हो विलम्ब से होने वाले आवंटनों से परहेज किया जाए। बजटीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए व्यय का एकसमान प्रवाह आवश्यक है।

2023–24 के दौरान नौ[4] विभागों में, कुल व्यय ₹ 1,20,104.48 करोड़ में से ₹ 50,470.05 करोड़ (42.02 प्रतिशत) का व्यय अंतिम तिमाही में किया गया। साथ ही, मार्च 2024 में ₹ 28,321.95 करोड़ (23.58 प्रतिशत) का व्यय किया गया ***(परिशिष्ट 3.9)***।

[4] *अनुदान संख्या 13 (ब्याज भुगतान) और 14 (ऋण की अदायगी) को छोड़कर।*

परिशिष्ट 3.9 से यह भी देखा जा सकता है कि मार्च 2024 के दौरान प्रतिशतवार (83.09 प्रतिशत) सबसे अधिक व्यय (₹ 2,494.51 करोड़) अनुदान संख्या 39–आपदा प्रबंधन विभाग में किया गया, लेकिन अनुदान संख्या 21–शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल मिलाकर सबसे अधिक व्यय ₹ 7,434.09 करोड़ किया गया।

परिशिष्ट 3.10 में विस्तृत रूप से दर्शाए गए 16 अनुदानों के 30 उप–शीर्षों (योजनाओं) के अंतर्गत मार्च 2024 के महीने में ₹ 5,475.30 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक) का शत–प्रतिशत व्यय, हुआ।

इसके अलावा, ₹ 3,26,230.12 करोड़ के समग्र विनियोग के लिए, मार्च 2024 में व्यय (₹ 40,353.67 करोड़) कुल व्यय (₹ 2,60,718.07 करोड़) का 15.48 प्रतिशत था। वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए माहवार व्यय **चार्ट 3.7** में दिखाया गया है।

चार्ट 3.7: वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान मासिक व्यय

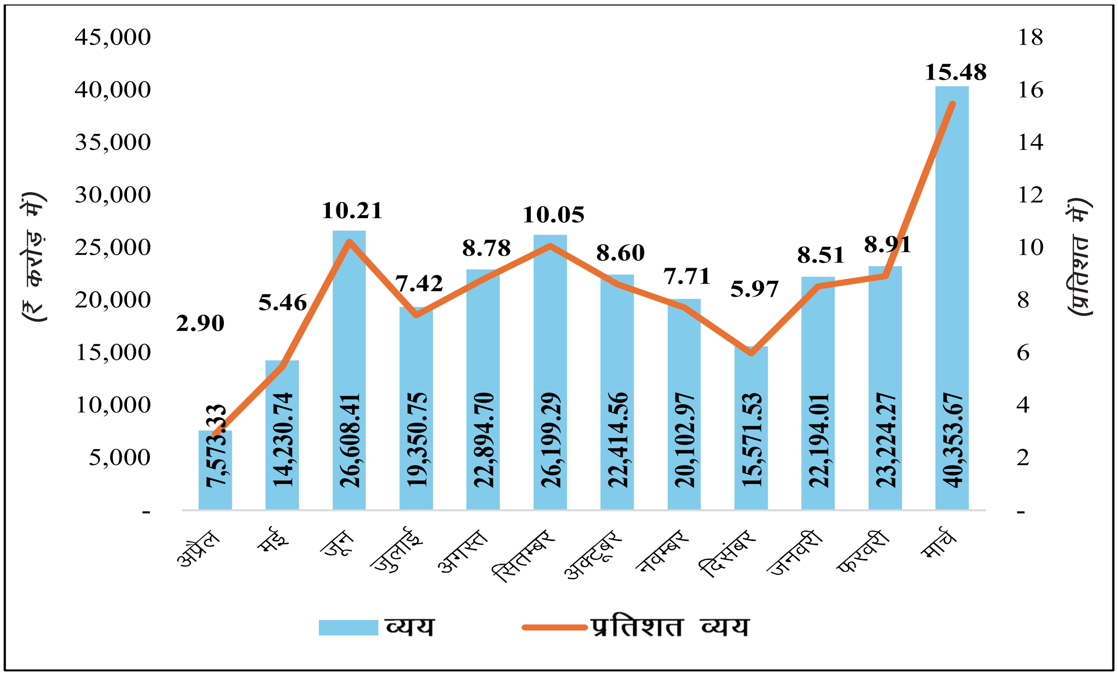

(स्रोतः मासिक व्यय प्रतिवेदन 2023–24)

वर्ष के अंतिम भाग/महीने में विभागों द्वारा किया गया महत्वपूर्ण व्यय, दोषपूर्ण वित्तीय प्रबंधन और अप्रभावी व्यय नियंत्रण को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष के अंत में सघन व्यय, व्यय निगरानी पर अपर्याप्त नियंत्रण का द्योतक है।

3.5 चयनित अनुदानों की समीक्षा

अनुदान संख्या–03 'भवन निर्माण विभाग' और अनुदान संख्या–21 'शिक्षा विभाग' के संबंध में बजटीय प्रक्रिया और व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा, 2023–24 की अवधि के दौरान अनुदान और अनुपूरक मांगों की बचत/आधिक्य और परिमाण के आधार पर की गई। समीक्षा के परिणाम आगे की कंडिकाओं में विस्तृत रूप से दिए गए हैं:

3.5.1 अनुदान संख्या–03 'भवन निर्माण विभाग'

भवन निर्माण विभाग (भ0नि0वि0) बिहार में आवासीय और गैर–आवासीय सरकारी भवनों के निर्माण, नवीनीकरण, उन्नयन और रख–रखाव के लिए उत्तरदायी है। विभाग, सचिव की अध्यक्षता में, अपने प्रमंडलों और एक निगम यथा 'बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड'

(बि0रा0भ0नि0नि0लि0) एवं इनके परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों (प0का0इ0) के माध्यम से कार्य करता है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल 18 मुख्य शीर्ष, यथा 2052, 2059, 2216, 2235, 3053, 3055, 4047, 4055, 4059, 4202, 4210, 4216, 4225, 4235, 4250, 4406, 4408 एवं 5452 संचालित किये गए थे।

3.5.1.1 बजट और व्यय

विगत तीन वित्तीय वर्षों (2021–22 से 2023–24) के लिए बजट प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों और अनुदान में बचत/आधिक्य की समग्र स्थिति **तालिका 3.15** में दर्शाई गई है।

तालिका 3.15: 2021–24 की अवधि के दौरान बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व (दत्तमत)/ पूँजीगत (दत्तमत)	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	विभाग के अभिलेख के अनुसार व्यय	अनुपयोगित प्रावधान (बजट के साथ प्रतिशत)
2021–22	राजस्व (दत्तमत)	835.02	3.01	838.03	700.54	137.49 (*16.41*)
	पूँजीगत (दत्तमत)	4,486.38	927.91	5,414.29	2,939.12	2,475.17 (*45.72*)
2022–23	राजस्व (दत्तमत)	859.13	46.63	905.76	753.11	152.65 (*16.85*)
	पूँजीगत (दत्तमत)	4,101.99	1,518.89	5,620.88	3,589.30	2,031.58 (*36.14*)
2023–24	राजस्व (दत्तमत)	965.28	35.13	1,000.41	851.12	149.29 (*14.92*)
	पूँजीगत (दत्तमत)	3,756.20	1,810.18	5,566.38	3,548.14	2,018.24 (*36.26*)

(स्रोतः संबंधित वर्षों के लिए विनियोग लेखे और भ0नि0वि0 के अभिलेख)
कोष्ठक में आंकड़े कुल बजट प्रावधानों के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

तालिका 3.15 दर्शाती है कि वर्ष 2021–24 के दौरान राजस्व (दत्तमत) और पूँजीगत (दत्तमत) के तहत अनुपयोगित बजट प्रावधान की सीमा 14.92 प्रतिशत से 45.72 प्रतिशत था। वर्ष 2021–24 के दौरान पूँजीगत खंड में सतत् अनुपयोगिता (36 प्रतिशत से अधिक) थी।

3.5.1.2 बचत का अनभ्यर्पण

वर्ष 2023–24 के दौरान, विभाग ने ₹ 4,721.48 करोड़ का मूल बजट का प्रावधान और ₹ 1,845.31 करोड़ का अनुपूरक बजट का प्रावधान किया, जिससे कि कुल बजट प्रावधान ₹ 6,566.79 करोड़ का हो गया। इसमें से विभाग ने 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान ₹ 4,399.26 करोड़ का व्यय किया और ₹ 2,167.53 करोड़ का बचत हुआ। विभाग ने इस वर्ष के दौरान राजस्व खंड में बचत का 100 प्रतिशत और पूँजीगत खंड के अंतर्गत बचत का 92.67 प्रतिशत का अभ्यर्पण नहीं किया। बचत का अभ्यर्पण नहीं किए गए राशि का विवरण **तालिका 3.16** में दिखाया गया है।

तालिका 3.16: बचत का अनभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व			पूँजीगत			अनभ्यर्पण का कुल प्रतिशतता
	बचत	अभ्यर्पण	अनभ्यर्पण का प्रतिशत	बचत	अभ्यर्पण	अनभ्यर्पण का प्रतिशत	
2021–22	137.49	–	100	2,475.17	35.00	98.59	98.66
2022–23	152.65	8.00	94.76	2,031.58	224.29	88.96	89.37
2023–24	149.29	–	100	2,018.24	148.00	92.67	93.17
कुल	**439.43**	**8.00**	**98.18**	**6,524.99**	**407.29**	**93.76**	**94.06**

(स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखे एवं विभाग का अभिलेख)

जैसा कि **तालिका 3.16** से देखा जा सकता है कि वर्ष 2021–24 के दौरान विभाग द्वारा महत्वपूर्ण बचत और तुलनात्मक रूप से कम अभ्यर्पण किया गया है।

3.5.1.3 सतत् बचत

लेखापरीक्षा ने भ0नि0वि0 की कुछ योजनाओं में पिछले तीन वर्षों में सतत् बचत देखी। 2023–24 में ₹ 50 करोड़ और उससे अधिक की बचत वाले आठ मामलों का विवरण **तालिका 3.17** में दिया गया है।

तालिका 3.17: ₹ 50 करोड़ और उससे अधिक की सतत् बचत

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष – योजना का नाम	2021–22	2022–23	2023–24
1	4059–80–051–0220 – ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं का विकास	81.25 *(82.93)*	79.00 *(79.00)*	105.91 *(75.65)*
2	4216–01–700–0206 – ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं का विकास	52.97 *(88.28)*	31.04 *(52.57)*	183.48 *(84.62)*
3	4059–60–051–0112–औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण/उन्नयन	1.34 *(0.88)*	38.96 *(12.93)*	128.41 *(57.84)*
4	4059–80–051–0123 – डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम साइंस सिटी	60.81 *(40.54)*	35.67 *(44.59)*	101.60 *(50.80)*
5	4059–60–051–0121 – पटना उच्च न्यायालय का विस्तार	40.46 *(80.92)*	107.19 *(89.33)*	100.68 *(88.32)*
6	4059–01–789–0101 – अनुसूचित जाति के लिए भवन	55.35 *(27.68)*	43.10 *(18.74)*	174.18 *(58.06)*
7	4055–00–051–0105 – पुलिस एवं अन्य भवन का निर्माण– गृह विभाग	3.97 *(35.04)*	5.37 *(59.67)*	219.86 *(99.94)*
8	4216–01–700–0306 – ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं का विकास	13.99 *(77.72)*	0.60 *(3.07)*	122.32 *(84.62)*

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत आँकड़े)
कोष्ठक में आँकड़ों कुल बजट प्रावधानों के प्रतिशत को दर्शाता है।

वर्षों से सतत् बचत इन योजनाओं के अंतर्गत अनुचित आकलन या संबंधित वर्षों में अनुमानित वित्तीय परिव्यय की अप्राप्ति को दर्शाता है।

3.5.1.4 समग्र प्रावधान का अनुपयोगित रह जाना

यह पाया गया कि 2023–24 के दौरान भ0नि0वि0 में 48 लेखा शीर्षों के तहत ₹ 63.98 करोड़ की समग्र बजटीय प्रावधानित राशि अनुपयोगित रही थी। मामलें, जिनमें ₹ 5 करोड़ के बराबर या उससे अधिक बजटीय प्रावधान था और अनुपयोगित रहे, **तालिका 3.18** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 3.18: 2023–24 के दौरान समग्र बजट प्रावधान पूर्णरूपेण अनुपयोगित रह जाना (₹ 5.00 करोड़ और अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष – योजना का नाम	2021–22	2022–23	2023–24
1	4055–00–051–0103 – नए पुलिस मुख्यालय भवन का निर्माण– गृह विभाग	18.00	–	5.00
2	4059–80–051–0324 – अल्पसंख्यकों के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, विशेष राज्य अंश (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम)	5.00	5.00	5.00
3	4059–01–796–0106 – संयुक्त श्रमिक भवन निर्माण	–	–	6.28
4	4059–01–051–0130 – नगर विकास भवन	–	20.00	10.00

क्र.सं.	लेखा शीर्ष – योजना का नाम	2021–22	2022–23	2023–24
5	4059–60–051–0144 – बिहार भवन, नई दिल्ली	–	–	10.00
6	4059–80–051–0125 – समेकित चेक पोस्ट	–	–	10.00
	कुल	**23.00**	**25.00**	**46.28**

(स्रोतः विनियोग लेखे एवं विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ें)

जैसा कि **तालिका 3.18** से देखा जा सकता है, लेखा शीर्ष ''03–4059–80–051–0324'' में, विभाग ने वर्षों से शून्य उपयोगिता होने के बावजूद लगातार बजट प्रावधान किया।

3.5.1.5 अनावश्यक अनुपूरक बजट

वर्ष 2023–24 के लिए बजट दस्तावेज और विनियोग लेखे की जांच में पाया गया कि विभाग ने कुल अनुदान में ₹ 1,845.31 करोड़ का अनुपूरक बजट बनाया। इसमें, पाँच योजना शीर्षों के अंतर्गत, ₹ 335.81 करोड़ के मूल प्रावधानों के विरुद्ध, विभाग द्वारा केवल ₹ 201.54 करोड़ (60.01 प्रतिशत) व्यय किया गया एवं ₹ 467.74 करोड़ के अनुपूरक बजट अनावश्यक साबित हुए क्योंकि व्यय मूल बजट प्रावधान के स्तर तक भी नहीं पहुँच सका। विस्तृत **तालिका 3.19** में दी गई है।

तालिका 3.19: मामले जहां अनुपूरक बजट अनावश्यक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	व्यय (सी0एफ0एम0एस0 के अनुसार)
1	2059–80–001–0004	स्थापना एवं प्रतिबद्ध (क्रियान्वयन)	234.81	0.90	154.00
2	4216–01–700–0206	ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं का विकास	60.00	156.84	33.36
3	4055–00–051–0105	पुलिस एवं अन्य भवन का निर्माण– गृह विभाग	20.00	200.00	0.14
4	4059–80–051–0109	बिहार राज्य न्यायिक सेवा, प्रशिक्षण संस्थान (विधि विभाग) के लिए छात्रावास का निर्माण	7.00	10.00	0.72
5	4059–60–051–0121	पटना उच्च न्यायालय का विस्तार	14.00	100.00	13.32
		कुल	**335.81**	**467.74**	**201.54**

(स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखे एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सी०एफ०एम०एस० प्रतिवेदन)

आगे, पाँच[5] लेखा शीर्षों में, केवल ₹ 23.46 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान किया गया था। तथापि, इन प्रावधानों के विरूद्ध कोई व्यय नहीं किया गया और इसलिए ₹ 23.46 करोड़ का अनुपूरक बजट अनावश्यक साबित हुआ।

3.5.1.6 निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

यह देखा गया कि यद्यपि 14 लेखा शीर्षों (एच0ओ0ए0) में ₹ 97.49 करोड़ के पुनर्विनियोजन का प्रावधान किया गया था, तीन एच0ओ0ए0 में पुनर्विनियोजन अनावश्यक साबित हुआ, क्योंकि व्यय मूल बजट प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं आया, जैसा कि **तालिका 3.20** में दिखाया गया है।

[5] *4059–60–051–0144; 4059–80–051–0125; 4059–60–051–0420; 2059–80–053–0019 एवं 4059–60–051–0425.*

तालिका 3.20: निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक बजट	पुनर्विनियोजन	व्यय
1	2052—00—090—0020	भवन निर्माण	3.84	0.00	0.11	3.32
2	2059—80—001—0001	निर्देशन	25.78	0.00	0.34	22.94
3	2059—80—001—0004	क्रियान्वयन	234.81	0.90	0.81	154.00
कुल			**264.43**	**0.90**	**1.26**	**180.26**

(स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखे एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सी०एफ०एम०एस० प्रतिवेदन)

अनावश्यक पुनर्विनियोजन द्योतक है कि विभाग ने इन मामलों में धन की वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना पुनर्विनियोजन के प्रावधान का उपयोग किया था।

3.5.1.7 अन्य मामले

यह भी पाया गया कि:

i वर्ष 2023—24 के दौरान, ₹ 4,399.26 करोड़ के कुल व्यय में से, भ०नि०वि० ने ₹ 941.48 करोड़ (21.40 प्रतिशत) की राशि का व्यय मार्च 2024 के महीने में किया है। सात[6] पूँजीगत लेखा शीर्षों में, मार्च 2024 के महीने में किया गया व्यय (₹ 214.79 करोड़) कुल व्यय (₹ 273.69 करोड़) का 63 प्रतिशत से अधिक था।

ii ₹ 26.73 करोड़ के 77 ए0सी0 विपत्रों का समायोजन (नवंबर 2023 तक) लंबित था। ये सभी विपत्र वित्तीय वर्ष 2002—03 से 2022—23 तक लंबित थे।

iii भवन निर्माण प्रमंडल—II, पटना, ने पाइपलाइनों के स्थानांतरण, पहुँच पथ के निर्माण और विद्युतीकरण कार्य के लिए अन्य विभागो को ₹ 11.58 करोड़ का अंतरण किया लेकिन इस राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र अभी तक अप्राप्त था।

3.5.2 अनुदान संख्या—21 ''शिक्षा विभाग''

शिक्षा विभाग (अनुदान संख्या—21) राज्य भर में शिक्षा प्रदान करने और संबंधित आधारभूत संरचना की स्थापना से संबंधित है।

शिक्षा अनुदान संख्या 21 — शिक्षा में केवल दत्तमत अनुदान के अंतर्गत मुख्य शीर्षों 2202— सामान्य शिक्षा, 2205— कला एवं संस्कृति, 2251— सचिवालय— सामाजिक सेवायें, 2204— खेल एवं युवा सेवाएँ, 4202— शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत व्यय, 2059— लोक निर्माण और 4059— लोक निर्माण पर पूँजीगत व्यय शामिल है।

3.5.2.1 बजट और व्यय

विगत तीन वित्तीय वर्षों (2021—24) के लिए, अनुदान के अंतर्गत बजट, व्यय और बचत की समग्र स्थिति, **तालिका 3.21** में दी गई है।

तालिका 3.21: 2021—22 से 2023—24 की अवधि के दौरान बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	शीर्ष	मूल बजट प्रावधान	अनुपूरक बजट	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशतता
2021—22	राजस्व	36,971.29	8,943.67	45,914.96	33,279.81	12,635.15	27.52
2021—22	पूँजीगत	1,064.64	—	1,064.64	704.88	359.76	33.79

6 *4059—01—051—0105; 4059—01—051—0110; 4059—01—789—0104; 4059—01—796—0107; 4202—02—104—0111; 4202—02—789—0102 एवं 4210—01—110—0116.*

वित्तीय वर्ष	शीर्ष	मूल बजट प्रावधान	अनुपूरक बजट	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशतता
2022–23	राजस्व	38,482.26	16,398.54	54,880.80	40,904.52	13,976.28	25.47
2022–23	पूँजीगत	709.61	301.96	1,011.57	515.27	496.30	49.06
2023–24	राजस्व	39,929.24	15,061.82	54,991.06	42,157.67	12,833.39	23.34
2023–24	पूँजीगत	521.67	959.17	1,480.84	1,360.82	120.02	8.10

(स्रोतः शिक्षा विभाग एवं अनुदान की माँग की प्रति)

तालिका 3.21 से यह स्पष्ट है कि राजस्व और पूँजीगत खंड के अंतर्गत अनुपयोगित बजट प्रावधान वित्तीय वर्ष 2021–24 के दौरान क्रमशः 23.34 से 27.52 प्रतिशत एंव 8.10 से 49.06 प्रतिशत के बीच था।

3.5.2.2 बचत का अभ्यर्पण

विभाग ने 2021–22 से 2023–24 के दौरान बचत का 54.84 प्रतिशत से 99.92 प्रतिशत अभ्यर्पण नहीं किया, जैसा कि **तालिका 3.22** में दिखाया गया।

तालिका 3.22: बचत का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	राजस्व			पूँजीगत			अभ्यर्पण का कुल प्रतिशतता
	बचत	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण का प्रतिशत	बचत	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण का प्रतिशतता	
2021–22	12,635.15	52.77	0.42	359.76	–	–	0.41
2022–23	13,976.28	6,376.74	45.63	496.30	159.30	32.10	45.16
2023–24	12,833.39	10.00	0.08	120.02	–	–	0.08
कुल	**39,444.82**	**6,439.51**	**16.33**	**976.08**	**159.30**	**16.32**	**16.33**

(स्रोतः शिक्षा विभाग एवं विनियोग लेखे)

3.5.2.3 सतत् बचत

2021–22 से 2023–24 के दौरान बजटीय प्रावधानों का एक बड़ा हिस्सा (प्रत्येक मामले में ₹ 50 करोड़ से अधिक), पाँच लेखा शीर्षों के अंतर्गत, अनुपयोगित पाया गया, जैसा कि **तालिका 3.23** में दिखाया गया।

तालिका 3.23: ₹ 50 करोड़ से अधिक की सतत् बचत

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	2021–22	2022–23	2023–24
1	2202–01–101–0001	राजकीय प्राथमिक और मध्य विद्यालय	408.99 *(9.14)*	514.69 *(11.33)*	896.37 *(14.45)*
2	2202–01–789–0203	सर्व शिक्षा अभियान (समग्र शिक्षा)	517.54 *(43.13)*	1193.91 *(57.79)*	1054.77 *(57.08)*
3	2202–01–789–0308	सर्व शिक्षा अभियान (समग्र शिक्षा)	345.02 *(43.13)*	146.46 *(24.51)*	118.59 *(18.32)*
4	2202–02–001–0002	जिला शिक्षा अधिकारी एवं अनुमंडलीय शिक्षा अधिकारी	77.92 *(27.06)*	84.39 *(28.8)*	77.54 *(25.29)*
5	2202–02–109–0001	अन्य विद्यालय	87.93 *(10.31)*	85.71 *(9.65)*	214.91 *(11.44)*
6	2202–02–109–0207	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (समग्र शिक्षा)	330.35 *(86.63)*	166.52 *(51.12)*	249.77 *(44.08)*
7	2202–02–109–0307	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (समग्र शिक्षा)	62.19 *(64.67)*	220.65 *(67.52)*	240.39 *(53.22)*
8	2202–03–102–0011	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय	112.37 *(16.01)*	91.29 *(14.28)*	141.46 *(19.79)*

(स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)
कोष्ठक में आँकड़े कुल बजट प्रावधान के प्रतिशत को दर्शाते है।

वर्षों से हो रहे सतत् बचत इन योजनाओं के अंतर्गत अनुचित आकलन या संबंधित वर्षों में अनुमानित वित्तीय परिव्यय के प्राप्त नहीं होने का द्योतक है।

3.5.2.4 समग्र प्रावधान का अनुपयोगित रह जाना

यह पाया गया कि 2023–24 के दौरान सात योजनाओ (तीन केंद्रीय प्रायोजित योजनाएँ (कें0प्रा0यो0) और चार राज्य योजनाएँ) के अंतर्गत समग्र बजटीय प्रावधान अनुपयोगित रहे थे जैसा कि **तालिका 3.24** में दिखाया गया।

तालिका 3.24: 2023–24 के दौरान समग्र बजट प्रावधान अनुपयोगित रह जाना

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष– योजना	2021–2022	2022–2023	2023–2024
1	2202–02–110–0007 गैर–सरकारी विद्यालयों को सहायता	616.61	–	342.00
2	2202–03–102–0323 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	–	63.20	18.00
3	2202–04–200–0205 नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (एन0आई0एल0पी0)	–	8.99	18.83
4	2202–04–200–0305 नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (एन0आई0एल0पी0)	–	5.99	12.27
5	4202–01–203–0207 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	–	158.00	15.20
6	2202–01–001–0105 शैक्षिक सेमिनार कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षणिक आयोजन एवं महोत्सव	–	–	20.00
7	2202–03–104–0003 वित्तीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय	–	–	507.84
	कुल	**616.61**	**236.18**	**934.14**

(स्रोतः 2021–22 से 2023–24 के विनियोग लेखे)

तालिका 3.24 से यह देखा जा सकता है कि शीर्ष 2202–02–110–0007 ''गैर–सरकारी विद्यालयों को सहायता'' के अंतर्गत ₹ 616.61 करोड़ (2021–22) और ₹ 342.00 करोड़ (2023–24) का समग्र बजट प्रावधान अनुपयोगित रहा।

3.5.2.5 अनावश्यक अनुपूरक बजट

2023–24 के दौरान, पाँच योजना शीर्षों के अंतर्गत, ₹ 7,599.46 करोड़ मूल बजट प्रावधानों के विरुद्ध, विभाग द्वारा केवल ₹ 6,696.41 करोड़ (88.12 प्रतिशत) का व्यय किया गया और इस प्रकार इन सभी योजनाओं के अंतर्गत ₹ 1,777.54 करोड़ का अनुपूरक बजट अनावश्यक सिद्ध हुआ जैसा कि **तालिका 3.25** में विवरणी दिया गया।

तालिका 3.25: अनावश्यक अनुपूरक बजट

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष – योजना	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट प्रावधान	व्यय	मूल बजट के विरुद्ध व्यय प्रतिशतता
1	2202–01–197–0002– प्रखंड शिक्षकों एवं शारीरिक शिक्षकों को समेकित भुगतान	2,829.22	2.00	2,831.22	2,457.29	86.85
2	2202–01–111–0301– सर्व शिक्षा अभियान (स0शि0अ0) (समग्र शिक्षा)	2,233.38	423.61	2,656.99	2,003.23	89.69

क्र.सं.	लेखा शीर्ष – योजना	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट प्रावधान	व्यय	मूल बजट के विरुद्ध व्यय प्रतिशतता
3	2202–02–196–0001– जिला परिषद् माध्यमिक शिक्षकों को समेकित अनुदान	1,782.63	2.00	1,784.63	1,658.50	93.04
4	2202–05–103–0003– गैर सरकारी संस्कृत विद्यालय	200.00	869.93	1,069.93	161.14	80.57
5	2202–03–102–0002–मगध विश्वविद्यालय	554.23	480.00	1,034.23	416.25	75.10
कुल		**7,599.46**	**1,777.54**	**9,377.00**	**6,696.41**	**88.12**

(स्रोतः विनियोग लेखे 2023–24)

इसके अतिरिक्त, आठ लेखा शीर्षों के अंतर्गत, ₹ 47 करोड़ के मूल बजट प्रावधानों के विरुद्ध, अनुपूरक बजट में ₹ 13.90 करोड़ का प्रावधान किया गया था। तथापि, इन प्रावधानों के विरुद्ध शून्य व्यय किया गया और अनुपूरक बजट अनावश्यक सिद्ध हुए। इन आठ योजनाओं की विवरणी **तालिका 3.26** में दिया गया है।

तालिका 3.26: शून्य व्यय योजनाओं के विरुद्ध अनावश्यक अनुपूरक बजट

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष – योजना	मूल बजट	अनुपूरक बजट	व्यय
1	2202–01–001–0105– शैक्षिक सेमिनार कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षणिक उत्सवों का आयोजन	10.00	10.00	0.00
2	2202–04–200–0205– नवभारत साक्षरता कार्यक्रम (एन0आई0एल0पी0)	17.61	1.22	0.00
3	2202–04–200–0305– नवभारत साक्षरता कार्यक्रम (एन0आई0एल0पी0)	11.99	0.28	0.00
4	2202–04–789–0204– नवभारत साक्षरता कार्यक्रम (एन0आई0एल0पी0)	2.04	0.28	0.00
5	2202–04–789–0303 – नवभारत साक्षरता कार्यक्रम (एन0आई0एल0पी0)	1.78	0.06	0.00
6	2202–04–796–0205– नवभारत साक्षरता कार्यक्रम (एन0आई0एल0पी0)	0.35	0.05	0.00
7	2202–04–796–0303– नवभारत साक्षरता कार्यक्रम (एन0आई0एल0पी0)	0.23	0.01	0.00
8	4202–01–202–0115– जल जीवन हरियाली	3.00	2.00	0.00
कुल		**47.00**	**13.90**	**0.00**

(स्रोतः विनियोग लेखे 2023–24)

3.5.2.6 निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

यह पाया गया कि आठ योजना शीर्षों में पुनर्विनियोजन द्वारा किए गए प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल बजट प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं पहुँचा। कुछ उदाहरण **तालिका 3.27** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.27: निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन (2023–24)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष – योजना	मूल बजट	अनुपूरक बजट	पुनर्विनियोजन	किया गया व्यय
1	21–2202–01–001–0001– प्राथमिक शिक्षा निदेशालय	11.13	2.95	0.72	9.20
2	21–2202–02–001–0003– क्षेत्रीय उप निदेशक एवं अन्य अधिकारी	17.21	2.00	0.20	13.93
3	21–2202–03–102–0008–बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा	318.00	2.00	22.20	290.46
4	21–2202–03–102–0011–ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय	621.31	14.00	79.60	573.46
5	21–2202–03–102–0027– मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर	88.12	6.00	8.00	81.14
6	21–2202–80–001–0001– मुख्यालय स्थापना	11.13	1.50	0.40	8.26
7	21–2202–80–001–0002– राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय	2.06	0.48	0.10	1.87
8.	21–2251–00–090–0002– शिक्षा विभाग	14.14	1.77	0.50	9.42
	कुल	**1,083.10**	**30.70**	**111.72**	**987.74**

(स्रोत: विनियोग लेखे 2023–24)

3.5.2.7 केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण बचत

विगत तीन वर्षों के दौरान विभाग में दो कें0प्रा0यो0 अर्थात सर्व (समग्र) शिक्षा अभियान और प्रधानमंत्री पोषण योजना/मध्याह्न भोजन के बजट प्रावधानों के उपयोग की विवरणी **तालिका 3.28** में दी गई है।

तालिका 3.28: बजट प्रस्ताव और अनुपयोगिता (बचत)

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2021–22		2022–23		2023–24	
	कुल बजट	बचत (प्रतिशत में)	कुल बजट	बचत (प्रतिशत में)	कुल बजट	बचत (प्रतिशत में)
सर्व शिक्षा अभियान (एस0एस0ए0)						
21–2202–01–111–0201	6,638.63	3,897.39 *(58.71)*	6,515.76	3,870.98 *(59.41)*	6,858.79	3,859.74 *(56.27)*
21–2202–01–111–0301	1,883.21	55.72 *(2.96)*	2,304.70	541.50 *(23.50)*	2,656.99	653.76 *(24.61)*
21–2202–01–789–0203	1,200.00	517.54 *(43.13)*	2,065.94	1,389.29 *(67.25)*	1,848.16	1,055.03 *(57.09)*
21–2202–01–789–0308	800.00	345.02 *(43.13)*	597.56	146.46 *(24.51)*	673.88	145.13 *(21.54)*
21–2202–01–796–0309	48.00	3.36 *(7.00)*	51.71	22.62 *(43.74)*	96.50	62.41 *(64.67)*
कुल	**10,569.84**	**4,819.03 *(45.59)***	**11,535.67**	**5,970.85 *(51.76)***	**12,134.32**	**5,776.07 *(47.60)***
मध्याह्न भोजन (एम0डी0एम0)						
21–2202–01–112–0002	1.56	1.22 *(78.21)*	1.70	1.47 *(86.47)*	9.35	8.96 *(95.83)*
21–2202–01–112–0104	460.00	216.43 *(47.05)*	506.00	142.81 *(28.22)*	535.00	500.00 *(93.46)*

शीर्ष	2021–22		2022–23		2023–24	
	कुल बजट	बचत (प्रतिशत में)	कुल बजट	बचत (प्रतिशत में)	कुल बजट	बचत (प्रतिशत में)
21–2202–01–112–0203	1,155.78	466.59 *(40.37)*	1975.00	1,224.75 *(62.01)*	2,002.00	1,278.09 *(63.84)*
21–2202–01–789–0209	245.67	71.99 *(29.30)*	450.00	299.04 *(66.45)*	450.00	267.57 *(59.46)*
21–2202–01–796–0210	32.63	16.55 *(50.72)*	75.00	63.02 *(84.03)*	48.00	31.10 *(64.79)*
21–2202–01–796–0310	21.76	6.18 *(28.40)*	18.00	4.68 *(26.00)*	24.43	8.43 *(34.51)*
कुल	**1,917.40**	**778.96 *(40.63)***	**3025.70**	**1,735.77 *(57.37)***	**3,068.78**	**2,094.15 *(68.24)***

(स्रोतः विनियोग लेखे)

जैसा कि **तालिका 3.28** से देखा जा सकता है, विगत तीन वर्षों में विभाग द्वारा इन दो योजनाओं के अंतर्गत बजटीय प्रावधानों के 2.96 प्रतिशत से 95.83 प्रतिशत तक उपयोग नहीं किया गया है।

3.6 विशिष्ट बजट की समीक्षा

बजट और व्यय के कुछ पहलुओं जैसे महिलाओं, बच्चों, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर सरकारी व्यय पर विशेष ध्यान देने और अधिक पारदर्शी एवं तार्किक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। बिहार ने 2023–24 के दौरान जेंडर बजट, बाल कल्याण बजट एवं हरित बजट तैयार किया है।

3.6.1 जेंडर बजट की समीक्षा

जेंडर बजट के प्रदर्शन का विश्लेषण विभिन्न विभागों में योजनाओं की विभिन्न श्रेणियों पर किए गए व्यय के आधार पर किया जाता है।

3.6.1.1 बजट प्रावधान और व्यय

विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने बजटीय संसाधनों का 14.50 से 15.80 प्रतिशत हिस्सा जेंडर बजट के लिए कर्णांकित किया है। विगत तीन वर्षों (2021–22 से 2023–24) के लिए राज्य बजट के संबंध में जेंडर बजट की योजना और क्रियान्वयन का अवलोकन **तालिका 3.29** में विस्तृत रूप से दिया गया है।

तालिका 3.29: बजट के विभिन्न चरणों में जेंडर बजट के लिए कर्णांकित बजटीय संसाधन एवं उनका क्रियान्वयन

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2021–22	2022–23	2023–24
बजट अनुमान*	मूल बजट (ब0अ0)	2,18,302.70	2,37,691.21	2,61,885.40
	महिलाओं के लिए प्रावधान (ब0अ0)	34,490.56	36,657.03	37,948.71
	बिहार राज्य के बजट (ब0अ0) में महिलाओं के लिए हिस्सा (प्रतिशत)	15.80	15.42	14.50
कुल बजट	राज्य बजट का कुल आकार	2,65,396.87	3,01,686.46	3,26,230.12
	जेंडर बजट योजना में कुल बजट	95,103.97	1,04,543.15	94,394.65
	बिहार राज्य के बजट में महिलाओं के लिए हिस्सा (प्रतिशत)	35.83	34.65	28.93
व्यय	राज्य का कुल व्यय	1,94,202.20	2,35,176.84	2,60,718.07
	जेंडर बजट योजना में कुल व्यय	64,648.33	78,041.75	64,316.15
	राज्य के व्यय में हिस्सा (प्रतिशत)	33.29	33.18	24.67

(स्रोतः वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2023–24 के जेंडर बजट (बजट अनुमान) और विनियोग लेखे)

* *नोटः बजट अनुमान राशि जेंडर बजट से ली गई है तथा कुछ योजनाओं को आंकड़ों के दोहराव तथा योजना के प्रत्येक शीर्ष के लिए बजट का स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण इसमें शामिल नहीं किया गया है।*

जैसा कि **तालिका 3.29** से देखा जा सकता है:

i विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान, जेंडर बजट के तहत कुल बजट राशि और कुल व्यय उसके बजट अनुमानों (मूल बजट) से काफी बढ़ा है।

ii विगत दो वित्तीय वर्षों में, बजट अनुमानों, कुल बजट और जेंडर बजट के तहत किए गए कुल व्यय का प्रतिशत हिस्सा राज्य के बजट अनुमानों, कुल बजट और कुल व्यय के मुकाबले कम हुआ है।

जेंडर बजट योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, अर्थात श्रेणी 'ए' (केवल महिलाओं के लिए शत–प्रतिशत बजट वाली योजना) और 'बी' (बजट का कम से कम 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए कर्णांकित)। राज्य सरकार के संबंधित विभागों द्वारा श्रेणी 'ए' में 94 योजनाएं और श्रेणी 'बी' में 491 योजनाएँ चलाई गई हैं।

जेंडर बजट के संबंध में योजनाओं की इन दो श्रेणियों में बजट प्रावधानों और व्यय का अवलोकन **तालिका 3.30** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.30: जेंडर बजट के तहत योजनाओं की श्रेणियों में बजट आवंटन

(₹ करोड़ में)

विवरण		2021–22	2022–23	2023–24
बजट अनुमान	जेंडर बजट में बजट प्रावधान	34,490.56	36,657.03	37,948.71
	योजना 'ए'	12,084.29	13,069.64	10,536.37
	योजना 'ए' प्रावधान का प्रतिशत	35.04	35.65	27.76
	योजना 'बी'	22,406.27	23,587.39	27,412.34
	योजना 'बी' प्रावधान का प्रतिशत	64.96	64.35	72.24
कुल बजट	महिलाओं के लिए कुल बजट	95,103.97	1,04,543.15	94,394.65
	योजना 'ए'	18,457.03	20,788.68	13,016.77
	योजना 'ए' प्रावधान का प्रतिशत	19.41	19.89	13.79
	योजना 'बी'	76,646.94	83,754.47	81,377.87
	योजना 'बी' प्रावधान का प्रतिशत	80.59	80.11	86.21
व्यय	जेंडर बजट योजनाओं में कुल व्यय	64,648.33	78,041.75	64,316.15
	श्रेणी 'ए'योजनाओं के अंतर्गत व्यय	11,240.74	18,261.32	4,985.01
	श्रेणी 'ए' योजनाओं के अंतर्गत व्यय का प्रतिशत	17.39	23.40	7.75
	श्रेणी 'बी' योजनाओं के अंतर्गत व्यय	53,407.59	59,780.43	59,331.14
	श्रेणी 'बी' योजनाओं के अंतर्गत व्यय का प्रतिशत	82.61	76.60	92.25

(स्रोतः वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2023–24 के जेंडर बजट और विनियोग लेखे)

जैसा कि **तालिका 3.30** से देखा जा सकता है कि चालू वर्ष के दौरान:

i. श्रेणी 'ए' योजनाओं के लिए बजट अनुमान 2021–22 के जेंडर बजट अनुमानों की तुलना में 2023–24 में 7.28 प्रतिशत अंक कम था।

ii. यद्यपि मूल बजट को अनुपूरक बजटों के माध्यम से काफी बढ़ाया गया एवं अधिकांश बजट प्रावधान श्रेणी 'बी' योजनाओं को आवंटित किए गए और श्रेणी 'ए' योजनाओं का हिस्सा प्रतिशत के रूप में प्रारंभिक हिस्से का लगभग आधा (14 प्रतिशत) ही रह गया।

iii. कार्यान्वयन के संदर्भ में, श्रेणी 'ए' योजनाओं के तहत किया गया व्यय मूल बजट में नियोजित मानक हिस्से की तुलना में कम (आठ प्रतिशत) था।

iv. बजट अनुमानों, कुल बजट और जेंडर बजट के तहत व्यय में श्रेणी 'ए' योजनाओं का हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ और श्रेणी 'ए' योजनाओं पर किया गया प्रतिशत व्यय पिछले तीन वर्षों में सबसे कम (7.75 प्रतिशत) था।

3.6.2 बाल कल्याण बजट की समीक्षा

राष्ट्रीय बाल नीति (एन0पी0सी0)–2013, के आलोक में राज्य सरकार द्वारा बाल कल्याण बजट तैयार किया गया। एन0पी0सी0 के अनुपालन में राज्य सरकार ने बाल कल्याण बजट तैयार करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया और बाल बजट संहिता जारी किया। इसके अनुसार सरकार ने राज्य में 2013–14 से बाल कल्याण बजट तैयार करना शुरू किया।

राज्य के बाल कल्याण बजट के तहत कुल 234 योजनाएँ हैं। बजटीय प्रावधानों और व्यय के संदर्भ में इस बजट के तहत प्रमुख योजनाओं में समग्र शिक्षा अभियान, मिड डे मील, एकीकृत बाल विकास सेवाएँ और पीएम पोषण शक्ति निर्माण आदि शामिल हैं।

3.6.2.1 बजट प्रावधान और व्यय

विगत तीन वर्षों (2021–22 से 2023–24) के लिए राज्य बजट के संबंध में बाल कल्याण बजट की योजना और क्रियान्वयन का अवलोकन **तालिका 3.31** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 3.31: 2021–22 से 2023–24 के लिए बाल कल्याण बजट का अवलोकन

(₹ करोड़ में)

विवरण		2021–22	2022–23	2023–24
मूल बजट (ब0अ0)	राज्य का बजट	2,18,302.70	2,37,691.21	2,61,885.40
	बाल कल्याण बजट के लिए बजट प्रावधान	38,863.99	44,917.07	46,066.29
	बाल कल्याण बजट का प्रतिशत हिस्सा	17.80	18.90	17.59
कुल बजट (मूल बजट + अनुपूरक बजट)	राज्य का कुल बजट प्रावधान	2,65,396.87	3,01,686.46	3,26,230.12
	बाल कल्याण बजट के लिए कुल बजट	52,016.72	73,414.14	74,604.90
	बाल कल्याण बजट का प्रतिशत हिस्सा	19.59	24.33	22.87
व्यय	राज्य का कुल व्यय	1,94,202.20	2,35,176.84	2,60,718.07
	बाल कल्याण बजट के लिए कुल व्यय	39,296.12	54,069.87	56,496.61
	बाल कल्याण बजट के लिए व्यय का प्रतिशत हिस्सा	20.23	22.99	21.67

(स्रोतः वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2023–24 के बाल कल्याण बजट और विनियोग लेखे)

बाल कल्याण बजट का मूल बजट (बजट अनुमान) ₹ 46,066.29 करोड़ था। पूरक बजट प्रदान करके बाल कल्याण बजट के तहत कुल बजट को बढ़ाकर ₹ 74,604.90 करोड़ किया गया। बाल कल्याण बजट के तहत कुल व्यय ₹ 56,496.61 करोड़ किया गया, एवं ₹ 18,108.29 करोड़ का बचत था जो कुल बजट प्रावधानों का 24 प्रतिशत था।

लेखापरीक्षा ने बाल कल्याण बजट की चार प्रमुख योजनाओं में बजट और व्यय की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया। इन योजनाओं के बजटीय प्रावधानों और उनमें किए गए व्यय के आधार पर विश्लेषण किया गया है। विस्तृत विवरण **तालिका 3.32** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 3.32: चार प्रमुख योजनाओं (एच0ओ0ए0) में बजट प्रबंधन का अवलोकन

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष एवं योजना का नाम	बजट, व्यय और बचत	वित्तीय वर्ष			
		2021–22	2022–23	2023–24	कुल
21–2202–01–111–0201– सर्व शिक्षा अभियान	बाल कल्याण बजट (बजट अनुमान)	6,638.63	6,515.76	6,858.79	20,013.18
	कुल बजट	6,638.63	6,515.76	6,858.79	20,013.18
	व्यय	2,741.23	2,644.79	2,999.05	8,385.07
	बचत (प्रतिशत बचत)	3,897.40	3,870.97	3,859.74	11,628.11 *(58.10)*
21–2202–01–112–0104– मध्याह्न भोजन योजना	बाल कल्याण बजट (बजट अनुमान)	460.00	300.00	300.00	1,060.00
	कुल बजट	460.00	506.00	535.00	1,501.00
	व्यय	243.57	363.19	535.00	1,141.76
	बचत (प्रतिशत बचत)	216.43	142.81	0.00	359.24 *(23.93)*
51–2236–02–101–0203 – एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (सक्षम आँगनवाड़ी पोषण 2.0)	बाल कल्याण बजट (बजट अनुमान)	819.48	1,020.98	989.89	2,830.35
	कुल बजट	854.49	1,020.98	989.89	2,865.36
	व्यय	701.77	754.87	761.14	2,217.78
	बचत (प्रतिशत बचत)	152.72	266.11	228.75	647.58 *(22.60)*
21–2202–01–112–0203 – प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण	बाल कल्याण बजट (बजट अनुमान)	1,155.78	1,975.00	2,002.00	5,132.78
	कुल बजट	1,155.78	1,975.00	2,002.00	5,132.78
	व्यय	689.19	750.25	723.91	2,163.35
	बचत (प्रतिशत बचत)	466.59	1,224.75	1,278.09	2,969.43 *(57.85)*

(स्रोतः वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2023–24 तक के बजट अनुमान के लिए बाल कल्याण बजट और कुल बजट एवं व्यय के लिए विस्तृत विनियोग लेखे)

तालिका 3.32 से पता चलता है कि विगत तीन वर्षों की अवधि के दौरान दो योजनाओं (समग्र शिक्षा अभियान और पीएम पोषण शक्ति निर्माण) में उपलब्ध कराए गए कुल बजट के मुकाबले महत्वपूर्ण बचत देखी जा सकती है। विगत तीन वर्षों के दौरान पीएम पोषण शक्ति निर्माण के तहत कुल बचत ₹ 2,969.43 करोड़ थी, जो इसके कुल बजट प्रावधानों ₹ 5,132.78 करोड़ का 57.85 प्रतिशत थी। इसी तरह, समग्र शिक्षा अभियान के तहत विगत तीन वर्षों के दौरान कुल बचत ₹ 11,628.11 करोड़ थी, जो इसके कुल बजट प्रावधानों ₹ 20,013.18 करोड़ का 58.10 प्रतिशत थी।

3.6.3 हरित बजट की समीक्षा

वित्तीय वर्ष 2020–21 से राज्य सरकार हरित बजट तैयार कर रही है और विगत तीन वर्षों के दौरान अपने मूल बजटीय संसाधनों का कम से कम तीन प्रतिशत हरित बजट के लिए कर्णांकित किया है।

विगत तीन वर्षों (2021–22 से 2023–24) के लिए राज्य बजट की तुलना में हरित बजट में बजट अनुमान, कुल बजट और व्यय का अवलोकन **तालिका 3.33** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 3.33: राज्य बजट के सापेक्ष हरित बजट

(₹ करोड़ में)

विवरण		2021–22	2022–23	2023–24
बजट अनुमान	राज्य का बजट	2,18,302.70	2,37,691.21	2,61,885.40
	हरित बजट के लिए बजट प्रावधान	7,682.91	7710.25	9,920.77
	हरित बजट का प्रतिशत हिस्सा	3.52	3.24	3.79

विवरण		2021–22	2022–23	2023–24
कुल बजट (मूल बजट + अनुपूरक बजट)	राज्य का कुल बजट प्रावधान	2,65,396.87	3,01,686.46	3,26,230.12
	हरित बजट के लिए बजट प्रावधान	36,368.58	28,366.70	44,331.56
	हरित बजट का प्रतिशत हिस्सा	13.70	9.40	13.59
व्यय	राज्य का कुल व्यय	1,94,202.20	2,35,176.84	2,60,718.07
	हरित बजट के लिए बजट प्रावधान	22,000.07	17,936.63	37,048.61
	हरित बजट का प्रतिशत हिस्सा	11.33	7.63	14.21

(स्रोतः बजट अनुमानों के लिए हरित बजट और कुल बजट और व्यय के लिए वित्त वर्ष 2021–22 से 2023–24 के विस्तृत विनियोग लेखे)

जैसा कि **तालिका 3.33** से देखा जा सकता है कि 2023–24 के दौरान हरित बजट पर व्यय का प्रतिशत हिस्सा 2021–22 में 11.33 प्रतिशत से बढ़कर 2023–24 में 14.21 प्रतिशत हो गया है।

हरित बजट के तहत शामिल योजनाओं को योजना के तहत हरित बजट घटक के लिए प्रावधानित प्रतिशत हिस्सेदारी के आधार पर छह[7] श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

हरित बजट योजना के छह श्रेणियों में बजट और व्यय का अवलोकन **तालिका 3.34** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 3.34: हरित बजट के अंतर्गत श्रेणीवार बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	श्रेणी	हरित बजट अनुमान	कुल बजट अनुमान का प्रतिशत	कुल बजट	कुल बजट का प्रतिशत	व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत
2021–22	ए	2,274.08	29.60	2,283.87	6.28	797.10	3.62
	बी	342.55	4.46	441.04	1.21	85.47	0.39
	सी	3,360.15	43.74	5,747.21	15.80	3,784.67	17.20
	डी	604.18	7.86	2,996.69	8.24	1,650.93	7.50
	ई	619.38	8.06	8,567.95	23.56	6,036.68	27.44
	एफ	482.57	6.28	16,331.82	44.91	9,645.22	43.84
	कुल	**7,682.91**	**100.00**	**36,368.58**	**100.00**	**22,000.07**	**100.00**
2022–23	ए	3,344.44	43.38	3,868.32	13.64	2,443.74	13.62
	बी	283.93	3.68	504.16	1.78	112.55	0.63
	सी	2,009.92	26.07	3,517.62	12.40	1,988.58	11.09
	डी	663.37	8.60	3,956.93	13.95	2,116.83	11.80
	ई	920.71	11.94	7,203.39	25.39	3,172.82	17.69
	एफ	487.88	6.33	9,316.28	32.84	8,102.11	45.17
	कुल	**7,710.25**	**100.00**	**28,366.70**	**100.00**	**17,936.63**	**100.00**
2023–24	ए	4,306.85	43.41	8,555.31	19.30	6,898.08	18.62
	बी	190.02	1.92	306.71	0.69	66.92	0.18
	सी	3,587.16	36.16	5,246.24	11.83	3,336.99	9.01
	डी	530.33	5.35	2,095.94	4.73	1,662.10	4.49
	ई	872.28	8.79	7,640.75	17.24	8,077.03	21.80
	एफ	434.13	4.38	20,486.61	46.21	17,007.49	45.91
	कुल	**9,920.77**	**100.00**	**44,331.56**	**100.00**	**37,048.61**	**100.00**

(स्रोतः वित्त वर्ष 2021–22 से 2023–24 तक का हरित बजट और विस्तृत विनियोग लेखे)

नोटः हरित बजट के आंकड़ों की विश्लेषण के दौरान, कुछ योजनाओं को दोहराव और योजना शीर्षों के विरुद्ध गैर–विशिष्ट बजट राशि के कारण बाहर रखा गया है। इसलिए, बजट अनुमानों की राशि हरित बजट के समग्र बजट अनुमानों की तुलना में थोड़ी भिन्न हो सकती है

[7] (ए) पूर्णतः समर्पित (> 90–100 प्रतिशत), (बी) बहुत उच्च महत्त्व (> 75–90 प्रतिशत), (सी) उच्च महत्त्व (> 50–75 प्रतिशत), (डी) मध्यम महत्त्व (> 25–50 प्रतिशत), (ई) कम महत्त्व (> 05–25 प्रतिशत) और (एफ) सीमांत महत्त्व (05 प्रतिशत या उससे कम)

जैसा कि **तालिका 3.34** से देखा जा सकता है:

i. वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, श्रेणी 'ए', 'बी' और 'सी' योजनाओं के लिए प्रावधानित राशि का कुल प्रतिशत हिस्सा मूल हरित बजट (₹ 9,920.77 करोड़) का 81.49 प्रतिशत (₹ 8,084.03 करोड़) था, जो महत्वपूर्ण था। हालाँकि, इन श्रेणियों की योजनाओं के तहत व्यय का प्रतिशत हिस्सा हरित बजट के तहत कुल व्यय (₹ 37,048.61 करोड़) का केवल 27.81 प्रतिशत (₹ 10,301.99 करोड़) था।

ii. 2021–24 की अवधि के दौरान योजनाओं की 'डी', 'ई' और 'एफ' श्रेणियों के तहत बजट अनुमान उनके कुल बजट की तुलना में काफी कम थे।

iii. अधिकांश व्यय कम महत्वपूर्ण योजनाओं (श्रेणी ई और एफ) पर किया गया है।

3.7 निष्कर्ष

बजट और विनियोग लेखे के विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्राप्त कुछ निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

क्रम संख्या	कंडिका संख्या	निष्कर्ष
1	3.4.2	वर्ष 2023–24 के लिए राज्य के बजटीय प्रावधानों में तीन अनुपूरक बजटों को शामिल करने से 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, वास्तविक व्यय मूल बजट के स्तर तक भी नहीं पहुंच पाया।
2	3.3.1	कुल व्यय (₹ 2,60,718.07 करोड़) का लगभग 10 प्रतिशत लोक लेखे में अंतरित किया गया।
3	3.3.2 एवं 3.3.3	अनुपूरक बजट और पुनर्विनियोजन आवश्यकता के उचित आकलन के बिना किए गए क्योंकि या तो ये अनुपयोगित रहे अथवा वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक पाए गए।
4	3.3.4	₹ 500 करोड़ या उससे अधिक की महत्वपूर्ण और सतत् बचत हुई। इनमें वर्ष के दौरान आठ अनुदानों के तहत ₹ 27,852.39 करोड़ की बचत और पिछले पाँच वर्षों के दौरान 12 अनुदानों के तहत ₹ 51,187.57 करोड़ की सतत् बचत शामिल है।
5	3.3.5.1	दो अनुदानों के अंतर्गत ₹ 39.47 करोड़ का अधिकाई व्यय किया गया, जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है।
6	3.4.3	1,793 मामलों में बजट से विचलन के संबंध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी, लेकिन केवल 158 मामलों (8.81 प्रतिशत) में ही स्पष्टीकरण दिया गया।
7	3.4.4	राज्य के कुल व्यय का 15 प्रतिशत व्यय माह मार्च 2024 में किया गया, जिससे वे 30 योजनाएँ (₹ 10 करोड़ या अधिक) शामिल थे जिनमें 100 प्रतिशत व्यय इसी माह के दौरान किए गए थे।

3.8 अनुशंसाएँ

सरकार:

i. एक ऐसी प्रणाली विकसित कर सकती है, जिससे अधिकाई व्यय के मामले न हों और पहले से किए गए अधिकाई व्यय को नियमित करने के लिए कदम उठा सकती है।

ii. यह सुनिश्चित कर सकती है कि सभी प्रत्याशित बचतें समय पर अभ्यर्पित कर दी जाएं, ताकि निधियों का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सके।

iii. यह सुनिश्चित कर सकती है कि बजट यथार्थवादी तरीके से तैयार किए जाएँ, ताकि बचत/अभ्यर्पण को न्यूनतम किया जा सके।

iv. सतत् बचत के कारणों की समीक्षा कर सकती है और ऐसी स्थितियों से बचने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है, ताकि आवंटित राशियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

v. वित्तीय वर्ष के अंतिम चरण के दौरान व्यय अधिकता की निगरानी और नियंत्रण कर सकती है।